हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 जनवरी, 1998

खण्ड - I, अंक - I

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 19 जनवरी, 1998

	पृष्ठ संख्या
राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1) 1
शोक प्रस्ताव	(1) 16
घोषणाएं —	
(क) अध्यक्ष द्वारा —	
(i) सभापीठासीन के नामों की सूची	(1) 32
(ii) याचिका समिति	(1) 32
(ख) सचिव द्वारा —	
राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों के बारे	(1) 33
बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1) 34
सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज-पत्र	(1) 36
रूल्ज कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना	(1) 39
विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	
(i) श्री भजन लाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध	(1) 39
(ii) इंडियन ऐक्सप्रेस के संवाददाता, संपादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध	(1) 40

मूल्य : 60 00

Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Haryana * Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 19 जनवरी, 1998

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 15.26 बजे हुई अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, in pursuance of Rule 18 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly at 2.00 p.m. today, the 19th January, 1998, under Article 176(1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

"माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवेशन में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

माननीय सदस्यगण, हम अपनी स्वतन्त्रता की 50वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं तथा मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हरियाणा राज्य इस अवसर को शानदार ढंग से मना रहा है। इस सम्बन्ध में अपेक्षित हिदायतें जारी करने और कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

विद्युत

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिए विद्युत-आपूर्ति का ठोस आधार उपलब्ध हो। अपर्याप्त विद्युत-प्रणाली के कारण राज्य के विकास की पूर्ण क्षमता को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के बाद गत 31 वर्षों के दौरान राज्य की अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता केवल 863 मैगावाट तक बढ़ाई जा सकी है जो कि बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए बहुत ही कम है। मेरी सरकार इस कमी को कम से कम समय में पूरा करने के लिए सतत प्रयास कर रही है। आगामी दो वर्षों की अवधि में 1180 मैगावाट बिजली का और उत्पादन करना प्रस्तावित है।

[श्री अध्यक्ष]

फरीदाबाद में गैस-आधारित 410 मैगावाट के ताप-बिजली-केन्द्र का निर्माण-कार्य, राष्ट्रीय ताप-बिजली निगम द्वारा पूरे ज़ोरों से चल रहा है और आशा की जाती है कि यह परियोजना वर्ष 1999 के अन्त तक पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार पानीपत ताप-बिजली परियोजना के 110-110 मैगावाट के वर्तमान चार यूनिटों को सुधारने, उनका आधुनिकीकरण करने तथा उनकी समयावधि बढ़ाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। तीन सौ करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना के पूरा होने के बाद इन यूनिटों की उत्पादन क्षमता 8 मैगावाट प्रति यूनिट बढ़ जायेगी। इसके इलावा वर्तमान 30 प्रतिशत विद्युतमात्रा पर चल रहा यह संयंत्र 80 प्रतिशत विद्युतमात्रा पर कार्य करेगा। इसके परिणामस्वरूप लगभग 250 मैगावाट बिजली-क्षमता में बढ़ोतरी होगी। पानीपत में यूनिट-6 के निर्माण के फलस्वरूप 210 मैगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा। यह यूनिट गत 7-8 वर्षों से धनाभाव के कारण छोड़ रखा था। इसके अतिरिक्त इसी अवधि के दौरान 25-25 मैगावाट वाले निजी-क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे तरल ईंधन पर आधारित बिजली उत्पादन यूनिटों से 300 मैगावाट बिजली प्राप्त होने की सम्भावना है। प्रदेश में कुल 860 मैगावाट की क्षमता के तरल ईंधन पर आधारित यूनिट भारत सरकार द्वारा दिए गए "फ्यूल लिंकेज" के अनुसार अनुमोदित हुए हैं।

राज्य की पारेषण एवं वितरण-प्रणाली में पुरानी चली आ रही खामियों के कारण बिजली आपूर्ति में क्षेत्रीय असन्तुलन बना हुआ है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक तकनीकी हानियाँ हुई हैं। तकनीकी अध्ययन से पता चला है कि पारेषण और वितरण लाइनों तथा बिजली उपकेन्द्रों को बेहतर बनाने तथा उनका आधुनिकीकरण करने पर काफ़ी निवेश की आवश्यकता है। मेरी सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई है। इस उद्देश्य के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को अलग-अलग राज्य स्वामित्व की बिजली उत्पादन, पारेषण तथा चार वितरण कम्पनियों में बांटा गया है जिनका पर्यवेक्षण एक स्वतंत्र विनियामक आयोग द्वारा किया जाएगा। शुरू में वितरण कम्पनियों में से एक को संयुक्त उद्यम कम्पनी में तबदील किया जाएगा ताकि निजी-क्षेत्र को भागीदारी में लाकर उससे जुड़े हुए लाभ को प्रणाली में लाया जा सके।

केन्द्र सरकार के सक्रिय योगदान से मेरी सरकार ने विश्व-बैंक से लगभग 2,400 करोड़ रुपये (चालू मूल्यों के आधार पर) का ऋण लेने की बात-चीत पूरी कर ली है। माननीय सदस्यगण, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 15 जनवरी, 1998 को वाशिंगटन में हुई अपनी बैठक में विश्व-बैंक ने इस ऋण की मंजूरी दे दी है। वाशिंगटन में हमारे भारतीय दूतावास 'मिनिस्टर इकोनॉमिक' ने 16 जनवरी, 1998 को भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार की ओर से सम्बन्धित समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस राशि का उपयोग मुख्यतः पारेषण एवं वितरण-प्रणाली में सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाएगा। सहायता प्रदान करने वाली मुख्य एजेंसियों की मदद से यह परियोजना कुल 7,900 करोड़ रुपये की हो जायेगी। इन सुधारों के बाद राज्य में बिजली की गुणवत्ता और मात्रा में अत्यधिक सुधार होगा तथा उपभोक्ताओं की समूची मांग को सन्तोषजनक ढंग से पूरा किया जा सकेगा।

माननीय सदस्यगण, मई, 1996 के पश्चात् इस अल्पावधि में राज्य सरकार ने सभी कार्यों को तेज़ गति से आगे बढ़ाया है तथा नीसिंग में 220 के०वी० का एक नया उपकेन्द्र; सागा, मूनक, इस्माईलाबाद और छाजपुर में 132-132 के०वी० के चार उपकेन्द्र; हथीन और चान्दपुर में 66-66 के०वी० के 2 नये उपकेन्द्र तथा विभिन्न स्थानों पर 33-33 के०वी० के 8 नए उपकेन्द्र चालू किए हैं। विभिन्न वोल्टताओं के 80 वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता भी बढ़ाई गई है। इस प्रकार प्रणाली में 1,070

एम०वी०ए० की वृद्धि की गई है। तीन महत्त्वपूर्ण लाइनों में तारें बिछाने का कार्य पूरा किया गया है। यह लाइनें हैं :- 8 करोड़ रुपये की लागत से बनी 220 के०वी बादशाहपुर-रेवाड़ी लाइन, 2.5 करोड़ रुपये की लागत से बनी 132 के०वी० पेहोवा-इस्माईलाबाद लाइन और दो करोड़ रुपये की लागत से बनी 220 के०वी० शाहबाद-पेहोवा (द्वितीय सर्कट) लाइन।

इस वर्ष राज्य में बिजली की आपूर्ति बिल्कुल सन्तोषजनक रही है तथा पिछले खरीफ मौसम के दौरान 75,172 लाख यूनिट बिजली दी गई। चालू वर्ष में नवम्बर तक 1,06,164 घरेलू तथा गैर-घरेलू बिजली कनैक्शन एवं 2,988 औद्योगिक कनैक्शन जारी किए गए।

गैर-परम्परागत ऊर्जा

राज्य में विभिन्न प्रकार के गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को काम में लाने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने मई, 1997 में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रशासकीय नियन्त्रण में हरियाणा राज्य ऊर्जा विकास एजेंसी नामतः हरेडा की स्थापना की है जो कि एक स्वायत्तशासी निकाय है।

राज्य में ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों पर आधारित बिजली परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने तथा बिजली की मांग व सप्लाई के अन्तर को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने हाल ही में सौर-ऊर्जा, बायोमॉस, पवन, माइक्रो/लघु जल-परियोजना और बेकार वस्तुओं के पुनर्प्रयोग इत्यादि तरीकों से बिजली-उत्पादन हेतु नई बिजली नीति तैयार की है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

प्रदेश का विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के बायो-प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से टिशू कल्चर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए, हिसार में 4.97 करोड़ रुपये की लागत से एक "टिशू-कल्चर अनुसंधान एवं अनुप्रयोग केन्द्र" खोल रहा है।

विज्ञान को लोकप्रिय बनाने तथा विद्यार्थियों के वैज्ञानिक रुझान को बढ़ावा देने हेतु दिसम्बर, 1997 में कुरुक्षेत्र में विज्ञान उत्सव बड़े प्रभावी ढंग से मनाया गया। इस उत्सव में स्कूली बच्चों तथा जन-साधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

इलैक्ट्रॉनिकी

राज्य के इलैक्ट्रॉनिकी-क्षेत्र में उन्नयन तथा विकास के कार्यक्रम, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम (हरट्रॉन) द्वारा चलाये जाते हैं, जिसका वर्ष 1997-98 के लिए परियोजना-आय-व्यय 4.75 करोड़ रुपये है। राज्य में मध्यम तथा बड़ी साफ्टवेयर कम्पनियों के उत्थान हेतु गन्नौर, ज़िला सोनीपत में 50 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से 6.5 एकड़ में सूचना-प्रौद्योगिकी एवं दूर-संचार परिसर का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया है।

कर्मचारियों की भलाई

यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ हमारे कर्मचारियों की कार्य-कुशलता और निष्ठा पर निर्भर करता है। मेरी सरकार ने केन्द्रीय पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन का लाभ हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को देने की अपनी वचनबद्धता को पूरा करने का निर्णय लिया है। संशोधित वेतनमानों के लाभ हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 1.1.1996 से दिए गये हैं।

[श्री अध्यक्ष]

सरकार के इस निर्णय से बकायों की अदायगी की राशि लगभग 950 करोड़ रुपये होगी और आगामी वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपये की आवर्तक वार्षिक देयता बन जाएगी। मेरी सरकार को विश्वास है कि इस अतिरिक्त देयता की प्रतिपूर्ति हरियाणा सरकार के कर्मचारी अधिक कार्यकुशलता से कार्य करके पूरी करेंगे जिससे प्रशासनिक सुधार होगा।

सिंचाई

सिंचाई न केवल कृषि-क्षेत्र बल्कि अन्य विकास क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने हेतु अहम् भूमिका निभाती है, जो कि राज्य के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

दक्षिण हरियाणा के शुष्क-क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार पंजाब भाग में सतलुज-यमुना-योजक नहर के मुकम्मल होने पर काफी निर्भर करता है जिसके लिए मेरी सरकार, केन्द्र सरकार से निरन्तर अनुरोध करती रही है। हम यह सुनिश्चित करने का सतत प्रयास करते रहेंगे कि सतलुज-यमुना-योजक नहर को मुकम्मल करके हरियाणा को न्याय मिले।

राज्य में विश्व-बैंक सहायता प्राप्त ''जल-संसाधन-समेकन-परियोजना'' कार्यान्वित की जा रही है, जो कि भारत में अपने किस्म की पहली परियोजना है। इस परियोजना के अन्तर्गत संरचना का सुधार, नहर-प्रणाली का आधुनिकीकरण, भूगत जल-निकास पॉयलट स्कीमें और नहरों तथा जल निकास प्रणाली का बेहतर रख-रखाव एवं संचालन जैसे कार्य किये जा रहे हैं।

हथनीकुण्ड बैराज, जो कि एक शताब्दी पुराने ताजेवाला हैड वर्क्स का स्थान लेगा, का निर्माण-कार्य तेज़ कर दिया गया है और इस महत्त्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय परियोजना के निर्धारित समय में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

सिंचाई एवं जल-निकास शाखाओं के बीच बेहतर तालमेल, उपयुक्त चौकसी और विनियमन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार इस वर्ष के दौरान बाढ़ पर प्रभावी नियन्त्रण रख सकी है। नहरों से घासपात/गाद निकालने के लिए किये गये उपायों के उत्साहवर्धक परिणाम रहे हैं। वर्ष 1995-96 में अपर्याप्त सप्लाई वाले नहर के अन्तिम छोरों की संख्या 352 से घट कर केवल 39 रह गई। 21.90 लाख हैक्टेयर के रिकार्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। यह क्षेत्रफल अब तक के अधिकतम 1995-96 के 19.50 लाख हैक्टेयर से भी ज्यादा है।

वर्तमान जलमार्गों के सुधार एवं मरम्मत के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नबार्ड) को परियोजना प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। आर०आई०डी०एफ०-II के लिए 61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुमोदन कर दिया गया है। अनेक स्कीमों का निर्माण-कार्य शुरू किया जा चुका है। मेवात के शुष्क-क्षेत्रों की सिंचाई के लिए 207 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनाई जाने वाली मेवात उत्थान-सिंचाई परियोजना तैयार की गई है जिसको योजना आयोग ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया है तथा यह मामला अब केन्द्रीय जल आयोग के विचाराधीन है।

समूचे राज्य को बाढ़ के प्रकोप से बचाने हेतु एक 'मास्टर प्लान' तैयार किया जा रहा है।

कृषि

कृषि, हरियाणा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होने के नाते मेरी सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने पर अधिकतम बल दे रही है। इस दिशा में सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 1996-97 के दौरान

112.90 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में राज्य में 114.55 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कपास तथा तिलहनों का उत्पादन भी क्रमशः 15.04 लाख गाँठें तथा 10.04 लाख टन के रिकार्ड स्तर तक पहुँच गया जो कथित वर्ष के दौरान उनके निर्धारित उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 15 लाख गाँठें तथा 9 लाख टन से अधिक था। गन्ने का उत्पादन भी (गुड़ के मामले में) 9 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 9.06 लाख टन के उच्च स्तर तक पहुँच गया।

वित्त वर्ष 1997-98 के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 115 लाख टन रखा गया, जिसमें 33.35 लाख टन खरीफ मौसम के लिए तथा 81.65 लाख टन रबी मौसम के लिए है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कृषि उपयोगी पदार्थों की वितरण-प्रणाली में चहुँमुखी सुधार किये गये हैं। इस प्रक्रिया में खरीफ, 1997 के दौरान विभिन्न फसलों के 87 हज़ार क्विण्टल प्रमाणित बीज वितरित किये गये जबकि रबी 1997-98 के लिए विभिन्न फसलों के 3.75 लाख क्विण्टल प्रमाणित बीजों का कृषकों में वितरण हेतु भण्डारण किया गया है। खरीफ, 1997 के दौरान उर्वरक खपत 3.42 लाख मीट्रिक टन (पोषक तत्त्व) रही और रबी 1997-98 के दौरान खपत के 5.02 लाख मीट्रिक टन (पोषक तत्त्व) के एक नये शिखर को छूने की सम्भावना है। अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1997 में हुई बारम्बार तथा असामयिक वर्षा ने चालू रबी मौसम के दौरान बुवाई कामों में बाधा पहुँचाई। गेहूँ बुवाई-रहित क्षेत्र में सूरजमुखी फसल की बुवाई हेतु एक अभियान चलाया गया है, जिसकी लगभग एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई होने की आशा है।

कृषि उपयोगी पदार्थों की उच्च लागत में कमी के विचार से मेरी सरकार ने कृषकों को वित्तीय सहायता देने की विभिन्न स्कीमों को जारी रखा। गेहूँ, धान तथा जौ के प्रमाणित बीजों पर 200 रुपये प्रति क्विण्टल की दर से उपदान दिया गया। एसिड-डिलिन्टिड बिनौला पर 400 रुपये प्रति क्विण्टल की दर से उपदान दिया गया। दालों तथा तिलहनों के प्रमाणित बीजों की बिक्री पर भी 300 रुपये प्रति क्विण्टल की दर से आर्थिक सहायता दी गई। चालू वर्ष के दौरान फास्फेट-युक्त उर्वरकों पर उपदान के रूप में 125 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी, जबकि वर्ष 1996-97 के दौरान यह राशि केवल 80 करोड़ रुपये थी। खरीफ, 1997 के दौरान 609.04 करोड़ रुपये तक के फसली-कर्ज़े दिये गये, जबकि खरीफ 1996 के दौरान यह राशि 493.33 करोड़ रुपये थी। चालू रबी मौसम के दौरान 766.34 करोड़ रुपये के फसली-कर्ज़े वितरित करने की योजना है, जबकि रबी 1996-97 के दौरान 610.92 करोड़ रुपये का वास्तविक वितरण किया गया था।

मेरी सरकार बागबानी के अधीन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। वर्ष 1996-97 के दौरान 1815 हैक्टेयर भूमि को फलों की खेती के अधीन लाया गया। चालू वित्त-वर्ष के दौरान इसके अतिरिक्त 1900 हैक्टेयर भूमि को फलों की खेती के अधीन लाये जाने की आशा है।

चालू गन्ना-पिड़ाई मौसम के दौरान गन्ने की विभिन्न किस्मों की देश में सबसे ऊँची कीमत 78/-, 80/- तथा 82/- रुपये प्रति क्विण्टल की दर से किसानों को देकर मेरी सरकार ने उनके प्रति अपनी उदारता और सद्भावना को दर्शाया है।

राज्य के कई भागों में अन्तर्भौम जल-स्तर का बढ़ना राज्य सरकार के लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। भूमि के नीचे के जल के समतल निकास की मार्गदर्शी परियोजना पर काम चल रहा है और उसके उत्साह-वर्धक परिणाम निकले हैं। राज्य में इस तकनीक को व्यापक तौर पर लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

[श्री अध्यक्ष]

हम सब के लिए यह बड़े गर्व एवं उत्साह की बात है कि वर्ष 1997 के दौरान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षा-विस्तार के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा देश में सर्वोत्तम कृषि-विश्वविद्यालय के रूप में माना गया है।

सार्वजनिक वितरण-प्रणाली

यद्यपि हरियाणा एक बहुत ही छोटा राज्य है, परन्तु यह केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों में बड़े अंशदाताओं में से एक है। यह केन्द्रीय पूल में 25 प्रतिशत गेहूँ तथा 11 प्रतिशत चावल अंशदान देता है।

राज्य द्वारा सार्वजनिक वितरण-प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की 7,643 दुकानों के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं के वितरण के लिए व्यापक नेटवर्क बनाया गया। राज्य में 34,11,548 राशनकार्ड धारक हैं और किसी भी उपभोक्ता को सार्वजनिक वितरण-प्रणाली की सप्लाई लेने के लिए 1.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ती। राज्य में मई, 1997 से भारत सरकार की एक नयी स्कीम कार्यान्वित की गई है, जिसके तहत गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति मास 10 किलोग्राम गेहूँ 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर दिया जा रहा है। मूल्य-वृद्धि और काला-बाज़ारी तथा जमाखोरी को रोकने के लिए कड़ी चौकसी रखी जा रही है।

सहकारिता

राज्य में सहकारिता आन्दोलन, जिसमें आपसी सहयोग से प्रबन्ध करने की भावना निहित होती है, ने अनेक दिशाओं में विकास किया है। इसमें चीनी मिल, ग्रामीण-ऋण, डेरी-यूनिट तथा औद्योगिक इकाई स्थापना जैसी विभिन्न योजनाएं शामिल हैं, जो मिलजुल कर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनसाधारण की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

राज्य की कुल 10 सहकारी चीनी-मिलों की प्रतिदिन पिड़ाई क्षमता 19,550 टन है। गन्ना-पिड़ाई मौसम, 1996-97 के दौरान, 347.92 लाख क्विंटल गन्ना पीड़ा गया और 30.61 लाख क्विंटल चीनी बनाई गई। सभी मिलों में यथासम्भव गन्ना पीड़ना आरम्भ किया गया और चालू मौसम के दौरान चीनी वसूली गत वर्ष की तुलना में अधिक रही। वर्ष 1997-98 के दौरान गन्ना विकास कार्यक्रम के लिए 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। हरियाणा में पहली बार सहकारी चीनी मिलों में निर्यात गुणवत्ता वाली चीनी का उत्पादन किया जा रहा है और लगभग 2.4 करोड़ रुपये के मूल्य की चीनी के 10 रैकों का निर्यात किया जा चुका है।

पशुपालन

हरियाणा भारत का "दुग्ध भण्डार" है। "हरियाणा" गायें तथा "मुर्रा" भैंसें अधिक दुग्ध-उत्पादन के लिये प्रसिद्ध हैं। दुग्ध-उत्पादन को बढ़ाने हेतु, मेरी सरकार ने पशु-स्वास्थ्य देखभाल को अधिक महत्व देने के अतिरिक्त राज्य में कई पशुधन-सुधार कार्यक्रम चलाये हैं।

उद्योग

माननीय सदस्यगण, औद्योगिक क्षेत्र में भी हमने सराहनीय उन्नति की है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बहुत छोटा राज्य है जो कि देश के कुल भू-क्षेत्र का केवल 1.37 प्रतिशत है

तथा इसकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का केवल 2 प्रतिशत है। तथापि प्रति-व्यक्ति आय की दृष्टि से यह देश में ऊँची आय वाले प्रदेशों में से एक है। राज्य में प्रभावशाली सड़क तथा रेलवे नेटवर्क की संरचना-सुविधाओं, जल तथा बिजली की उपलभ्यता, सुविकसित औद्योगिक सम्पदाओं, बेहतरीन बैंकिंग-सुविधाओं, विश्वसनीय संचार नेटवर्क और इसके अतिरिक्त श्रमिक शान्ति के कारण हरियाणा औद्योगिक विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। मेरी सरकार देशी तथा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने हेतु प्रयत्नशील है ताकि स्थानीय युवाओं को रोज़गार के अधिक अवसर मिल सकें। प्रगोद-क्षेत्रों जैसे कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य संसाधन, इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों, ऑटोमोबॉयल, कपड़ा एवं हथकरघा उद्योगों इत्यादि के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि यह है कि पाँच वर्ष पूर्व 438 करोड़ रुपये के निर्यात तथा 1995-96 में 2,182.54 करोड़ रुपये के मुकाबले हमने 2,454 करोड़ रुपये के निर्यात का कीर्तिमान स्थापित किया है।

मेरी सरकार ने औद्योगिक मॉडल टाऊनशिप, मानेसर की परियोजना को पुनः आरम्भ कर दिया है जो कि हरियाणा राज्य औद्योगिक निगम द्वारा कार्यान्वित की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ 1,730 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। जब वर्तमान सरकार ने बागडोर सम्भाली, उस समय 2,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह महत्त्वपूर्ण परियोजना लगभग परित्यक्त पड़ी थी। यहाँ भारतीय एवं विदेशी कम्पनियों को उच्च-प्रौद्योगिकी और अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संरचना सुविधा प्राप्त होगी।

साहा, ज़िला अम्बाला में 1,000 एकड़ में एक नया विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान भूमि अधिग्रहण एवं विभिन्न सम्पदाओं में विकास कार्यों पर 200 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। इस निगम द्वारा कुण्डली में एक प्रतिष्ठित निर्यात विकास औद्योगिक पार्क भी विकसित किया जा रहा है। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा हरियाणा बिल्ड निगम, दोनों ही हरियाणा के बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत हैं।

मेरी सरकार ने विभिन्न सम्पदाओं में विकसित औद्योगिक प्लॉटों का 2-3 वर्षों की अवधि में लगभग 5,000 एकड़ भूमि का भूमि-बैंक बनाने हेतु कदम उठाये हैं ताकि भावी उद्यमकर्ता बिना कोई समय नष्ट किये निवेश संबंधी निर्णय ले सकें।

पर्यावरण

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार स्वास्थ्य-वर्धक पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रयासरत है। राज्य सरकार ने पर्यावरण शिक्षा तथा संसाधन सामग्री विवरणिका, पम्फलेट इत्यादि वितरित करके जागरूकता पैदा करने हेतु कदम उठाये हैं।

राज्य प्रदूषण-नियन्त्रण बोर्ड 120 औद्योगिक इकाइयों को मल-शोधन संयंत्र लगाने तथा 115 औद्योगिक इकाइयों को वायु-प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्र लगाने के लिए मनाने में सफल रहा है। राज्य सरकार ने खतरनाक औद्योगिक कचरे के निपटान हेतु भी फरीदाबाद में एक स्थान नियत किया है।

[श्री अध्यक्ष]

वन तथा सामाजिक-वानिकी

18,000 हैक्टेयर भूमि में वनरोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न राज्य योजनाओं के तहत 29.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वनरोपण गतिविधियों के फलस्वरूप वर्ष 1997-98 के दौरान मज़दूर रोज़गार के 27.26 लाख श्रम-दिवस जुटाये गए। 1,40,500 पैबन्द लगे फलों के पौधों को तैयार करने तथा उन्हें अनुसूचित जातियों के सदस्यों को आवंटन करने हेतु वर्ष 1997-98 के दौरान, विशेष संघटक योजना में 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

समाज कल्याण

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा सभी कमज़ोर वर्गों के उत्थान तथा उन्नति के लिए निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा इसके इलावा वरिष्ठ नागरिकों में आत्म-सम्मान की भावना उत्पन्न करने के लिए कदम उठाये गये हैं। समाज कल्याण की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण विभाग 124 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगा। बुढ़ापा तथा अन्य पेन्शनों का वितरण समय पर किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न स्कीमें लागू की जा रही हैं। विकलांग विद्यार्थियों को 100 रुपये प्रतिमास से 500 रुपये प्रतिमास तक वज़ीफे के तौर पर दिये जा रहे हैं। शिक्षित विकलांग व्यक्तियों को बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जा रहा है।

इसी प्रकार वर्ष 1997-98 के दौरान, महिला तथा बाल विकास विभाग 12.04 लाख लाभानुभोगियों अर्थात् 6 मास की आयु से 6 वर्ष तक के 9.76 लाख बच्चों और 2.28 लाख गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं को अनुपूरक पोषण प्रदान करने के लिए 28.09 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके अतिरिक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत 3-6 वर्ष की आयु के 5.03 लाख बच्चों को अनौपचारिक पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान की जा रही है। महिलाओं के कल्याण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, वर्कशॉप और अभिविन्यास पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राई में महिला जागरूकता एवं प्रबन्ध अकादमी नामक एक राज्य प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है।

यू०एन०एफ०पी०ए० से शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त "इंटेग्रेटिड विमेन्स इम्पावरमैन्ट एण्ड डिवैल्पमैंट प्रोजैक्ट" महेन्द्रगढ़ ज़िले में और रेवाड़ी ज़िले के 70 गांवों में सफलतापूर्वक लागू किया गया। गुड़गांव ज़िले के सोहना, भूँड और फ़रुखनगर खण्डों में भी यह परियोजना लागू की जानी है, जिसके लिए लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि की वित्तीय सहायता संघीय-जर्मन-गणतन्त्र द्वारा अपने संगठन जी०टी०ज़ैड० के माध्यम से दी जायेगी।

इसी प्रकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग इन समुदायों के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान के लिये अनेक स्कीमें चला रहा है। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1997-98 के लिये लगभग 27 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम के तत्त्वावधान में चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के 18000 परिवारों को 49.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। निगम द्वारा मैला उठाने

वालों तथा उनके आश्रितों को इस कार्य से मुक्ति और उनके पुनर्वास सम्बन्धी राष्ट्रीय स्कीम भी सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। अब तक 9,690 मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों को 13.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देकर उनका पुनर्वास किया गया है।

मद्य-निषेध

संविधान के अनुच्छेद 47 के अन्तर्गत परिकल्पित संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मेरी सरकार ने पहली जुलाई, 1996 से राज्य में पूर्ण शराबबन्दी लागू कर दी थी।

शराबबन्दी लागू करने हेतु किये गए निवारक उपायों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम के शैक्षिक तथा सामाजिक पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्राईमरी से ऊपर की कक्षाओं से लेकर माध्यमिक और कॉलेज स्तर तक की सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में मद्य-निषेध से सम्बन्धित विषय शामिल किया गया है। विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा संस्थाओं में नियमित तौर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। लोगों में जागरूकता पैदा करने में हमारी महिलाओं ने जलूसों तथा प्रभातफेरियों इत्यादि का आयोजन करके इस बारे अहम् भूमिका निभाई है।

मद्य-निषेध को कारगर ढंग से लागू करने के लिए पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 72 में संशोधन किया गया है। अब इसमें यह प्रावधान है कि बार-बार किए गए और गंभीर अपराधों की सूरत में सरकारी वकील, अपराधी को दी जाने वाली ज़मानत का विरोध कर सकता है। इसके अतिरिक्त, पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 78 तथा 79 में संशोधन करने के लिए भारत के राष्ट्रपति से सम्मति प्राप्त करके 19 नवम्बर, 1997 को एक अध्यादेश जारी किया गया। संशोधित अधिनियम में प्रवर्तन एजेंसियों को शराब की तस्करी में सम्मिलित लोगों की सम्पत्ति तथा वाहन जब्त करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में भी संशोधन किया गया है जिसके द्वारा पंचायतों का कर्त्तव्य बना दिया गया है कि वे अपने अधिकार-क्षेत्र में मद्य-निषेध को सख्ती से लागू करें।

मेरी सरकार राज्य में शराबबन्दी लागू करने के लिए गम्भीरतापूर्वक सभी सम्भव उपाय कर रही है जिससे अव्यवस्था तथा गुण्डागर्दी की घटनायें केवल बीते दिनों की कहानियां बन कर रह गई हैं। आम लोगों, विशेषकर महिला-वर्ग में, सुरक्षा की भावना बढ़ी है।

यद्यपि वर्ष 1997-98 में राज्य सरकार को लगभग 800 करोड़ रुपये (इस राशि को करों के साल-बर-साल होने वाली आमदन के हिसाब से आंका गया है) के राजस्व से हाथ धोना पड़ा तथापि शराबबन्दी से हुए उदार सामाजिक-आर्थिक लाभों के कारण इस हानि की पूरी तरह भरपाई हो गई है। मेरी सरकार हरियाणा की पावन भूमि से इस सामाजिक बुराई का पूर्णतः उन्मूलन करने के लिए वचनबद्ध है। राज्य को हुई राजस्व की हानि की पर्याप्त प्रतिपूर्ति के लिए हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया है।

कानून एवं व्यवस्था

समूचे राज्य में शान्ति, खुशहाली तथा सामाजिक भाईचारे का वातावरण बना रहा है। मेरी सरकार कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और इस क्षेत्र में पर्याप्त सुधार भी हुआ है। हरियाणा पुलिस के सभी प्रभागों ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है।

[श्री अध्यक्ष]

पहली जुलाई, 1996 से समस्त राज्य में मद्य-निषेध लागू होने से हत्या, चोट, दुर्घटनाओं और दंगामों के मामलों में बहुत कमी आई है। दिनांक 1-7-1996 से 31-12-1996 के दौरान इन अपराधों के अधीन जितने केस दर्ज हुए वे पिछले 18 महीनों दिनांक 1-1-95 से 30-6-96 की तुलना में 1,506 कम थे। कानून एवं व्यवस्था में सुधार होने के परिणामस्वरूप ऐसे मामले, जिनमें निवारक कार्यवाही की गई है, उनकी संख्या इसी अवधि में 2,966 कम हुई है।

योजना

आठवीं योजना के 5,700 करोड़ रुपये के मुकाबले में योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 11,600 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन कर दिया है।

वर्ष 1997-98 की वार्षिक योजना के लिए 1576.04 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। आर्थिक सुधार कर, राजस्व की चोरी रोक कर तथा अन्य उपायों के कारण, हमने योजना के लिए कारगर और कुशलतापूर्वक ढंग से राशि जुटाई है। इस वित्त वर्ष में लगभग 1400 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है, जो कि पिछले वर्ष के वास्तविक खर्च से 12.02 प्रतिशत अधिक है।

परिवहन

हरियाणा राज्य परिवहन के पास 3,770 बसें हैं, जो 20 डिपुओं और 17 उप-डिपुओं से 1,739 मार्गों पर चलती हैं और प्रतिदिन लगभग 11.26 लाख किलोमीटर औसत दूरी तय करती हैं। इनमें लगभग 15.89 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। चालू वर्ष के दौरान पुरानी बसों के स्थान पर 567 नई बसें खरीदने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ 51.30 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

राज्य में चलने वाले मैक्सी-कैब वाहनों को समूचे राज्य में चलाने हेतु संविदा वाहन परमिट देकर विनियमित करने का निर्णय लिया गया है। 31 अक्तूबर, 1997 तक 2,118 मैक्सी-कैब वाहनों को संविदा वाहन परमिट जारी किए गए।

भारत की स्वतंत्रता के स्वर्ण-जयन्ती वर्ष के दौरान लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया ताकि स्वच्छता और समय-पाबंदी को बढ़ावा देने के अतिरिक्त वाहनों की खराबी, दुर्घटनाओं और प्रदूषण को कम किया जा सके।

शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रम

विद्यालय सुविधाओं को बढ़ाने के साथ-साथ प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना मेरी सरकार का मुख्य लक्ष्य है। विद्यालय-प्रवेश की आयु के सभी बच्चों के लिए विद्यालय सुविधायें जुटाने का प्रयास किया गया है। सभी नागरिकों को शिक्षा देने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रमों को संघटित तथा व्यापक बनाया गया है।

वर्ष 1997-98 में कुल 375 स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया जिनमें 112 प्राईमरी, 120 मिडिल तथा 143 हाई स्कूल शामिल हैं। प्राथमिक कक्षाओं में दाखिला-प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या 24.19 लाख

(जिसमें 10.97 लाख लड़कियाँ हैं) तक पहुँच गई है। माननीय सदस्यगण, यह गर्व की बात है कि सभी ज़िलों में लड़कियों के दाखिले में वृद्धि हुई है।

सामान्य जनता में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने अनेक नीतियां अपनाई हैं। ग्रामीण-क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार देने के अतिरिक्त छात्राओं को विशेष अनुशिक्षण तथा अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दियां देकर प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य में मध्याह्न भोजन स्कीम भी कार्यान्वित की जा रही है। हरियाणा के सभी ज़िलों में साक्षरता अभियान निरन्तर चलाये जा रहे हैं। पंचकूला और जीन्द ज़िलों में साक्षरता के बाद के कार्यक्रम को शुरू किया गया है और सोनीपत और रेवाड़ी ज़िलों में साक्षरता पुनः स्थापना प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई है। साक्षरता-कार्यक्रमों पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। स्कूलों और पाठ्यक्रमों में सुधार लाने के उद्देश्य से सभी ज़िलों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन करके जन समुदाय का सहयोग प्राप्त किया गया है।

ज़िला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम, कैथल, जीन्द, हिसार, सिरसा, गुड़गांव, भिवानी और महेन्द्रगढ़ के सात ज़िलों में बड़ी सफलता से चल रहा है।

मोरनी-पहाड़ियों तथा मेवात-क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 100 स्थानीय विद्यार्थी, अध्यापक-प्रशिक्षण के लिए भेजे गये। विद्यालयों में बच्चों के लिए द्वितीय भाषा के रूप में पंजाबी के विकास हेतु छात्रवृत्ति स्कीम आरम्भ की गई है। पंजाबी साहित्य अकादमी ने सुचारू रूप से कार्य करना आरम्भ कर दिया है; जबकि हरियाणा साहित्य अकादमी तथा हरियाणा उर्दू अकादमी ने साहित्य के क्षेत्र में चहुँमुखी प्रगति की है। वर्ष 1997-98 में 4 गैर-सरकारी तथा 4 सरकारी महाविद्यालय खोलकर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने तथा उनका विस्तार करने के लिए कदम उठाए गए हैं। विभिन्न विषयों के 105 नये प्राध्यापक नियुक्त किये गये हैं, जिससे प्राध्यापकों की संख्या बढ़ कर 6,049 हो गई है। वर्ष, 1997-98 में सम्बद्ध महाविद्यालयों को 35.57 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा विभिन्न महाविद्यालयों में 68 महिला अध्ययन तथा विकास कक्ष कार्य कर रहे हैं। मेधावी छात्रों को और तरक्की करने के लिए उपलब्ध अवसरों के विषय में जानकारी दी जा रही है।

नेतृत्व-गुण और सेवा-भावना पैदा करने के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान 10,680 लड़कों और 1600 लड़कियों ने एन०सी०सी० के सीनियर डिवीजन कार्यक्रम में भाग लिया। इसी प्रकार, विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और 10+2 स्तर की संस्थाओं के 45,000 स्वयं-सेवी विद्यार्थियों के नाम राष्ट्रीय सेवा स्कीम में दर्ज किये गए। युवाओं ने शराब-नोशी की सामाजिक बुराई के उन्मूलन और राज्य की मद्य-निषेध की नीति के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। स्वतन्त्रता की स्वर्ण-जयन्ती के उपलक्ष्य में भी शिक्षा संस्थाओं में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

नगरपालिका प्रशासन

माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार बेहतर तथा स्वस्थ नागरिक सुविधाएं देने की ओर विशेष ध्यान दे रही है। वर्ष 1997-98 के दौरान इसके लिए 33.98 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

[श्री अध्यक्ष]

शहरी गन्दी बस्तियों के पर्यावरण-विकास हेतु वर्ष 1997-98 के दौरान 7.80 करोड़ रुपये के परिव्यय का उपबन्ध किया गया। छोटे तथा मध्यम नगरों के एकीकृत विकास के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 के दौरान 40 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया।

दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के द्वारा मंजूर की गई राशि में से चालू वित्त वर्ष के दौरान नगरपालिकाओं के लिए एक करोड़ रुपये से कुछ अधिक की राशि दे दी गई है। इसी प्रकार, गन्दी-बस्ती विकास कार्यक्रम के लिये वर्ष 1997-98 के दौरान 4.69 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को वर्ष 1997-98 के दौरान 3.60 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।

नेहरू रोज़गार योजना, निर्धन व्यक्तियों के लिए शहरी बुनियादी सेवा और प्रधान मंत्री की एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के स्थान पर राज्य में 1-12-1997 से केन्द्र-चालित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार 75 और 25 के अनुपात में खर्च करेगी।

जन स्वास्थ्य

ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सप्लाई को मेरी सरकार ने सदा परम-अग्रता दी है। सभी ग्रामीण जल-सप्लाई योजनाओं का संवर्धन करने का निर्णय लिया गया है। पहली अप्रैल, 1997 को 40 एल०पी०सी०डी० (लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन) से कम जल सप्लाई वाले 1087 गाँव थे। चालू वित्त वर्ष के दौरान, इनमें से 650 ग्रामों की जल-सप्लाई का स्तर बढ़ा कर 40/55 एल०पी०सी०डी० करवा दिया जाएगा। शेष गाँवों में यह सुविधा 1998-99 के दौरान उपलब्ध करवा दी जाएगी। रेतीले क्षेत्रों में जल-सप्लाई 70 लिटर प्रति-व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से रखी गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 12 करोड़ रुपये के योजना प्रावधानों के अधीन 15 नगरों की जल-सप्लाई में सुधार किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा यमुना कार्य-योजना को शत-प्रतिशत केन्द्रीय संचालित योजना बनाया जा रहा है और हमें इसके शीघ्र पूरा हो जाने की आशा है।

चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देखभाल

मेरी सरकार 2299 उप-केन्द्रों, 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 64 सामुदायिक स्वास्थ्य-केन्द्रों तथा 48 अस्पतालों के माध्यम से हरियाणा के लोगों को मूलभूत तथा विशिष्ट स्वास्थ्य-सेवाएं प्रदान कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि अस्पतालों में बेहतर उपकरण मुहैया करवा कर, प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रबन्ध करके, दवाइयों, रसायनों, एक्स-रे फिल्मों, पट्टियों इत्यादि की मात्रा बढ़ा कर स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ बनाया जाए तथा स्वास्थ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जाए।

हरियाणा की जनता को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं जुटाना मेरी सरकार का संकल्प है। चालू वर्ष के दौरान 100 प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों में दन्त-चिकित्सा सेवा आरम्भ की गई है। इसी प्रकार हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसमें हैपाटाईटिस "बी" (यकृत-विकार) टीकाकरण को सरकार के प्रतिरक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। 10 लाख खुराकों की सप्लाई के लिए क्रयादेश भेज दिया गया है और 2.5 लाख खुराकें प्राप्त कर ली गई हैं। एक वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों तथा सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों और स्वास्थ्य विभाग के उन कर्मचारियों जिनको स्वयं जोखिम रहेगा, को यह टीका लगाया जाएगा। पंचकूला के सामान्य अस्पताल के कामकाज को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। ओमान के शाह

से प्राप्त वित्तीय सहायता से मेवात-क्षेत्र के मांडी खेड़ा ग्राम में 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल बनाया जा रहा है।

मलेरिया और डेंगू बुखार के प्रकोप को रोकने के लिए कीटनाशक दवाईयां खरीदने हेतु चालू वित्त-वर्ष में इस कार्य के लिए उपबन्धित राशि के अतिरिक्त 18 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया।

विश्व-बैंक तथा अन्य सहायता देने वाली एजेंसियों की सहायता से भारत सरकार ने हरियाणा राज्य हेतु वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए 311.17 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आर०सी०एच०) कार्यक्रम का अनुमोदन किया है। एकीकृत जनभक्षमता, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं सहित माता तथा बच्चे को स्वास्थ्य प्रदान करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। फरीदाबाद तथा भिवानी में 24.01 करोड़ रुपये की लागत की प्रजनन बाल स्वास्थ्य उप-परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है।

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक की चिकित्सा सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सारे देश से चुने हुए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है। समिति ने वहाँ एक विकसित मानसिक-आघात और अतिविशिष्ट उपचार केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है। मेरी सरकार इन सभी सिफारिशों को लागू करने की ओर कदम उठा रही है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत

माननीय सदस्यगण, गरीबी कम करने तथा रोज़गार के अवसर जुटाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लगभग 7.60 करोड़ रुपये के आवंटन से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस राशि में से 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार तथा 50 प्रतिशत भारत सरकार का है।

ट्राईसेम स्कीम के अन्तर्गत नवम्बर, 1997 तक 1,227 ग्रामीण युवकों को विभिन्न निर्धारित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे स्व-रोज़गार/मज़दूरी रोज़गार सम्बन्धी कोई व्यवसाय आरम्भ कर सकें। इनमें अनुसूचित जातियों के 709 युवक तथा 679 महिलाएँ शामिल हैं।

नवम्बर, 1997 तक सभी ज़िलों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों के विकास के लिए 282 इवाकरा ग्रुप संघटित किए गए जिनमें कुल 2,899 महिला सदस्य हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयुक्त आय वाले कार्य आरम्भ करने के लिये 25,000 रुपये का इकमुश्त अनुदान प्रति ग्रुप दिया जाता है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम उष्ण-शुष्क क्षेत्र में रेवाड़ी तथा महेन्द्रगढ़ ज़िलों के 10 खण्डों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की क्रमशः 75 और 25 की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम गर्म रेतीला शुष्क-क्षेत्र ज़िला भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा तथा झज्जर के 35 खण्डों में चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भू-विकास और नमी-संरक्षण पर भी काम किया जा रहा है जिसमें भूमि संवारना और उसका विकास करना भी शामिल है। इसके इलावा शुष्क-भूमि कृषि, जल-सोत-विकास और वनरोपण तथा जल-प्लावित क्षेत्रों पर चरागाहों के विकास का कार्य भी किया जा रहा है।

जवाहर रोज़गार योजना को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की क्रमशः 80 और 20 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी है। भारत सरकार ने 16.11 लाख श्रम दिवस जुटाने के लिये लगभग 17.12 करोड़ रुपये अलॉट किए हैं। चालू वित्त-वर्ष में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 1955 आवास-गृहों का निर्माण किया गया है और नवम्बर, 1997 के अंत तक 1039 इकाइयों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

[श्री अध्यक्ष]

कृषि मंदी मौसम के दौरान लाभप्रद रोज़गार प्रदान करने हेतु रोज़गार आश्वासन स्कीम आरम्भ की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु के पुरुषों तथा स्त्रियों को 100 श्रम दिवस के रोज़गार का आश्वासन दिया गया है। वर्ष 1997-98 के दौरान इस योजना को राज्य के 34 और ब्लाकों में लागू कर दिया गया है और अब सम्पूर्ण राज्य में यह योजना चल रही है। इसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी 80 और 20 के अनुपात में है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर, 1997 तक ग्रामीण-क्षेत्रों में 14.84 लाख श्रम दिवस जुटाए गए।

दिनांक 1-2-1997 से गंगा कल्याण-योजना शुरू की गई है ताकि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले छोटे और सीमान्त किसानों को व्यक्तिगत या सामूहिक कुओं और नलकूपों के लिए सहायता दी जा सके।

गलियों को पक्का करने, विद्यालयों के कमरे बनाने, डिस्पैंसरियाँ, योजक सड़कें तैयार करने, ग्रामीण जल-आपूर्ति करने, कम लागत के शौचालय और चौपालों के निर्माण हेतु वर्ष, 1997-98 में 69.73 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। चालू वित्त-वर्ष के दौरान ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कम लागत के लगभग 55,500 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।

भवन तथा सड़कें

यातायात के तेज़ी से बढ़ने के कारण सड़कों को उन्नत करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। मेरी सरकार केवल नई सड़कों के निर्माण पर ही ध्यान केन्द्रित नहीं कर रही बल्कि वर्तमान सड़कों को सुधारने का भी प्रयास कर रही है।

वर्तमान अवस्थापना में सुधार लाने पर भी बल दिया जा रहा है। वर्ष 1997-98 के दौरान 90 किलोमीटर नई सड़कें बनाने और 340 किलोमीटर लम्बी वर्तमान सड़कों का सुधार करने का प्रस्ताव है।

52.65 किलोमीटर लम्बी नयी सड़कें बनाने, 216 किलोमीटर लम्बी वर्तमान सड़कों का सुधार करने और 5 नये पुल बनाने के लिए नबार्ड से 11.92 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-1 को करनाल से पंजाब सीमा तक चार-मार्गी बनाने और मज़बूत करने का कार्य विश्व-बैंक परियोजना-II के अन्तर्गत पूरे ज़ोरों पर चल रहा है। ए०डी०बी० परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को बल्लभगढ़ से उत्तर-प्रदेश की सीमा तक चार-मार्गी बनाने और मज़बूत करने का कार्य पूरा हो चुका है जिस पर 108 करोड़ रुपये की लागत आई है।

हरियाणा राजमार्ग उन्नयन परियोजना, जिस पर लगभग 1,408 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, का मूल्यांकन विश्व-बैंक द्वारा पूरा किया जा चुका है और अब यह मामला विचाराधीन है। इस परियोजना के तहत राज्य के सभी राजमार्गों का 4-5 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत दर्जा बढ़ाना परिकल्पित है।

पर्यटन

हरियाणा का पर्यटन विभाग पर्यटकों को उत्तम सुविधाएं प्रदान कर रहा है। शराबबन्दी के बावजूद सभी पर्यटन-केन्द्र अत्यधिक लोकप्रिय हैं और उनमें लगभग 65 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं।

चालू वर्ष के दौरान माता मनसा देवी मन्दिर के परिसर में "यात्रिका" आरम्भ की गई है। जीन्द, सिरसा तथा पानीपत के वर्तमान पर्यटन-केन्द्रों में नये हाल बनाए गए हैं। पिपली में एक नया फास्ट-फूड केन्द्र मुकम्मल किया गया है।

Vidhan Sabha Secretariat ★ LIBRARY ★ Haryana Chandigarh

मेरी सरकार ने संयुक्त-क्षेत्र में निजी-क्षेत्र के सहयोग से पर्यटन विकास कार्य के लिए एक नई नीति को मंजूरी दे दी है।

देश की सांस्कृतिक धरोहर के विकास हेतु 15 से 24 नवम्बर, 1997 तक द्वितीय कार्तिक सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 80,000 पर्यटकों ने भाग लिया। फरवरी, 1998 में सूरजकुण्ड शिल्प-मेले का आयोजन करने की तैयारियां की जा रही हैं। देश के 7 उत्तर-पूर्वी राज्यों की संस्कृति की झलक इस मेले का विशेष आकर्षण होगी। इस मेले में लाखों पर्यटकों के आने की सम्भावना है।

खेल-कूद

376 प्रशिक्षित अनुशिक्षक, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। छोटी उम्र में खेल प्रतिभाओं की पहचान एवं प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा 10 खेल-कूद नर्सरियाँ चलाई जा रही हैं, जहाँ 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को गहन प्रशिक्षण के लिए ले जाया जाता है। यह उत्साह-जनक बात है कि जून, 1997 में बंगलौर में हुए राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल 69 पदक जीते जिनमें 15 स्वर्ण पदक थे।

श्रम तथा रोज़गार

माननीय सदस्यगण, राज्य में अकुशल कामगारों की न्यूनतम मज़दूरी संशोधित करके 1598.46 रुपये प्रति-मास कर दी गई है, जो दिल्ली को छोड़कर इस क्षेत्र के बाकी राज्यों में सबसे अधिक है।

नियोक्ताओं, कामगारों तथा जन-साधारण की जागरूकता के कारण राज्य में औद्योगिक सुरक्षा के स्तर में उपयुक्त सुधार हुआ है।

राज्य में औद्योगिक दुर्घटना दर वर्ष 1996 के 2.4 प्रति हज़ार कामगार से कम हो कर वर्ष 1997 में 1.82 प्रति हज़ार कामगार रह गई है जबकि राष्ट्रीय औसत दर 26 है। ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसियों के सहयोग से बंधुआ बाल मज़दूरों का पुनर्वास किया जा रहा है।

पहली अप्रैल, 1997 से 30 नवम्बर, 1997 की अवधि के दौरान रोज़गार कार्यालयों द्वारा 15,342 आवेदकों को लाभकारी रोज़गार मुहैया करवाये गये हैं, जिनमें से 715 महिलाएं हैं। कुशल तथा अर्ध-कुशल बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार देने की विशेष स्कीमों को भी सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार की महत्त्वपूर्ण नीतियों व कार्यक्रमों को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मुझे विश्वास है कि जनता की समस्याओं का समाधान करने में इन मुद्दों पर आपका योगदान अति महत्त्वपूर्ण होगा। मुझे आशा है कि आप इन पर रचनात्मक परिचर्चा करेंगे एवं आपका योगदान राज्य के सामाजिक तथा आर्थिक विकास और इसके नागरिकों के कल्याण के लिए लाभकारी होगा।

जय हिन्द !''

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now a Minister will make the obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन के उठने के बाद और इस अधिवेशन के आरम्भ होने तक हमारे बीच में से कई बड़े नेता और कई साथी चले गए। जिनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले नेता भी हमारे बीच में से चले गए।

श्री गुलजारी लाल नन्दा, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री

यह सदन भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' श्री गुलजारी लाल नन्दा के 15 जनवरी, 1998 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 4 जुलाई 1898 को हुआ। उन्होंने एम०ए०, एल०एल०बी० की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1921 में असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। वह 1932 में सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान जेल गये। वह 1942 से 1944 के दौरान भी जेल गये। वह वर्ष 1950-52 के दौरान भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने और पहली पंचवर्षीय योजना उनके मार्ग दर्शन में बनी। वह पुनः 1960 से 1963 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। वह 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 में लोक सभा के लिये चुने गये। वह पण्डित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इन्दिरा गांधी के मंत्रिमण्डल में योजना, श्रम, रेलवे, बिजली व गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे और उन्होंने काम करके दिखाए। विभाग में जो भी गड़बड़ मिली वह उनके स्वभाव को देखकर ठीक हो गई। वह 1964 और 1966 में दो बार भारत के प्रधानमंत्री रहे।

श्री नन्दा भारत माता के महान सपूत थे। वे भारत में श्रम आन्दोलन के प्रणेता थे और उन्होंने देश की योजना प्रक्रिया को नया स्वरूप प्रदान किया। वह ईमानदारी, मानवता और गांधीवादी विचारधारा की प्रतिमूर्ति थे। उनका लम्बा राजनीतिक व प्रशासनिक जीवन निष्ठा, कड़ी मेहनत व निःस्वार्थ सेवा-भाव से ओत-प्रोत था। वह शराबबन्दी के प्रबल समर्थक थे और इस कार्य के लिए उन्होंने सराहनीय योगदान दिया।

गीता के 'कर्मयोग' के सिद्धान्त में पक्का विश्वास रखने वाले श्री नन्दा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे। वह 1967 तथा 1971 में कैथल से भी दो बार सांसद चने। उनके द्वारा पवित्र नगरी कुरुक्षेत्र तथा उसके आस-पास के ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थानों के जीर्णोद्धार के लिये दिये योगदान के प्रति हरियाणा वासी सदैव ऋणी रहेंगे।

उनके निधन से देश एक दूरदर्शी, विकास के लिये प्रतिबद्ध, योग्य प्रशासक, अनुभवी सांसद और महान देशभक्त की सेवाओं से बंचित हो गया है। उनके न रहने से आजादी के संघर्ष और गांधीवादी युग के साथ वर्तमान का जीवंत सम्पर्क ही टूट गया है और हरियाणावासियों को विशेष क्षति हुई है तथा मुझे व्यक्तिगत रूप से नन्दा जी के जाने से बहुत नुक्सान हुआ है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, नन्दा जी जैसे महान पुरुष कभी-कभी ही पैदा होते हैं।

मदर टेरेसा, गरीबों की मसीहा

यह सदन गरीबों की मसीहा मदर टेरेसा के 5 सितम्बर, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ। वह 1929 में भारत आईं। उन्होंने कलकत्ता को अपना घर चुना तथा वहां पर निराश्रित और दीन-दुखियों की सेवा करने तथा विश्वभर में प्रेम व शान्ति का सन्देश फैलाने के लिए 'मिशनरीज आफ चैरिटी' की स्थापना की। वह जीवन भर गरीबों, पीड़ितों के लिए समर्पित रहीं। वह कालीघाट के बीमारों की, भोपाल के गैस त्रासदी, बंगलादेश की बाढ़, आर्मेनिया के भूकम्प तथा इथियोपिया में भुखमरी से पीड़ित लोगों के घाव पर मरहम रखने भी गई।

मदर टेरेसा ने स्वयं को गरीबों व पीड़ितों के लिए समर्पित किया, उसे देखते हुए विभिन्न अवसरों पर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 1962 में 'पदमश्री' व रमन मेगसेसे अवार्ड, 1971 में कैनेडी इन्टरनैशनल अवार्ड, 1972 में जवाहर लाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। 1980 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ''भारत रत्न'' से अलंकृत किया गया। इसके अलावा उन्हें अनेक पुरस्कार प्रदान किये गये जिनमें पोप जोन पाल अन्तर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार तथा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार शामिल हैं।

उनके निधन से विश्व ने एक गरीबों की मसीहा तथा प्रेम व शान्ति का दूत खो दिया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

न्यायाधीश ई० एस० वेंकटरमैया, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश

यह सदन भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश ई०एस०वेंकटरमैया के 25 सितम्बर, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 18 दिसम्बर, 1924 को हुआ। उन्होंने बी०ए०,एल०एल०बी० की डिग्री प्राप्त की तथा 1946 में वकालत शुरू की। वह 1970 में मैसूर सरकार में महाधिवक्ता रहे। वह 1970 से 1979 तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। वह 1979 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने तथा 1989 में उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बने।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात न्यायविद् की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मूल चन्द जैन, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री मूल चन्द जैन के 12 सितम्बर, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 20 अगस्त, 1915 को हरियाणा के सोनीपत जिला के गांव सिकन्दरपुर माजरा में हुआ। उन्होंने बी०ए०एल०एल०बी० की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा जेल गये। उन्होंने अपने गांव में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और गिरफ्तारी दी।

वह 1952 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के लिए चुने गये तथा 1956-57 में मंत्री रहे। वह 1957 से 1962 तक संसद के सदस्य रहे। वह 1967 तथा 1977 में हरियाणा विधान सभा के लिये चुने गये और मंत्री रहे। वह हरियाणा योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने राज्य में मद्यनिषेध आन्दोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें राज्य की स्वतंत्रता स्वर्ण जयन्ती कमेटी तथा मद्यनिषेध कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

[श्री बंसी लाल]

श्री जैन ने अपने गांव में अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति में लाला मुरारी लाल चैरीटेबल ट्रस्ट पुस्तकालय की स्थापना की ताकि गांव वासियों को पढ़ने के लिये अच्छी पुस्तकें और समाचार-पत्र प्राप्त हो सकें।

उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी, कट्टर गांधीवादी, अनुभवी सांसद तथा योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री हरद्वारी लाल, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री हरद्वारी लाल के 21 अक्तूबर, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 10 सितम्बर, 1910 को हुआ। उन्होंने एम०ए० की डिग्री प्राप्त की। वह अनेक शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे। वह 1959 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने। वह 1962 में संयुक्त पंजाब विधान सभा के लिये चुने गये तथा 1967, 1972 व 1977 में हरियाणा विधान सभा के लिये चुने गये तथा मंत्री के पद पर भी रहे। वह 1977 से 1983 तक महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक के उपकुलपति रहे। उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा की। वह 1984 व 1987 में लोकसभा के लिये चुने गये। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद व योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

न्यायाधीश बलराज तुली, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश

यह सदन पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री बलराज तुली के 12 दिसम्बर, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 2 जुलाई, 1913 को हुआ। उन्होंने 1939 में लाहौर उच्च न्यायालय में वकालत प्रारम्भ की तथा 1955 से पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में वकालत करने लगे। वह 1968 से 1975 तक पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे।

उनके निधन से देश एक प्रख्यात न्यायविद् की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री देसराज कम्बोज, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री देसराज कम्बोज के 3 अगस्त, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री देसराज कम्बोज का जन्म 10 मई, 1934 को हुआ। उन्होंने एम०ए०, एल०एल०बी० की डिग्री प्राप्त की। वह 1977 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये और मंत्री बने। वह 1994 से 1996 तक हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष रहे। वह अपने क्षेत्र में कई सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े रहे।

उनके निधन से राज्य एक कुशल प्रशासक और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री कपिल देव शास्त्री, भूतपूर्व सांसद

यह सदन भूतपूर्व सांसद श्री कपिल देव शास्त्री के 25 सितम्बर, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म मई, 1920 में हुआ। उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने 1957 में हिन्दी सत्याग्रह व 1965 में हरियाणा निर्माण आन्दोलनों में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। वह 1987 में हैफेड के चेयरमैन बने। वह 1989 में लोक सभा के लिये चुने गये तथा लोक सभा की राजभाषा एवं संचार समिति के सदस्य भी रहे। वह दहेज प्रथा, बाल-विवाह तथा मद्यनिषेध आदि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं में कई पदों पर कार्य किया। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री जोगिन्द्र सिंह मान, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री श्री जोगिन्द्र सिंह मान के 5 नवम्बर, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 17 अगस्त, 1905 को हुआ। वह संयुक्त पंजाब विधान सभा के 1937 से 1951 तक सदस्य रहे। वह 1949 में संयुक्त पंजाब में मंत्री बने। वह 1952 में संसद के सदस्य चुने गये। वह 1967 में पंजाब विधान सभा के लिये चुने गये तथा विधान सभा अध्यक्ष बने।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक व अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री फूसा राम, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री फूसा राम के 3 अगस्त, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री फूसा राम का जन्म 14 फरवरी, 1935 को हुआ। वह व्यवसाय से कृषक थे। वह 1980 के उपचुनाव में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये। वह 1982 और 1991 में पुनः हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये। वह 1991 से 1996 तक हैफेड के चेयरमैन रहे। उनकी समाज सेवा में गहरी रुचि थी।

उनके निधन से राज्य एक योग्य प्रशासक और अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

[श्री बंसी लाल]

डाक्टर रघुबीर प्रकाश, तत्कालीन पैप्सू विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन तत्कालीन पैप्सू विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डाक्टर रघुबीर प्रकाश के 26 नवम्बर, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

डाक्टर रघुवीर प्रकाश ने स्वतन्त्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वह 1952 से 1953 तक पैप्सू विधान सभा के सदस्य रहे।

उनके निधन से देश एक स्वतन्त्रता सेनानी व अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री दीप चन्द वर्मा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति

यह सदन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति श्री दीप चन्द वर्मा के 14 अक्तूबर, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 19 अगस्त, 1908 को हुआ। वह प्राध्यापक रहे तथा 1952 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आये। वह 1954 से 1958 तक संयुक्त पंजाब में निदेशक लोक सम्पर्क के पद पर तथा 1958 से 1963 तक निदेशक पंचायत के पद पर रहे। वह 1966 से 1970 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं।

उनके निधन से राज्य एक अनुभवी प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मेजर सज्जन सिंह, एक वीर सैनिक

यह सदन वीर सैनिक मेजर सज्जन सिंह के 23 अक्तूबर, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 8 जून, 1966 को हुआ। उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह 1987 में सैकिंड लैफ्टिनैंट के पद पर नियुक्त हुए। वह देश की एकता और अखण्डता के लिये साहस और वीरता प्रदर्शित करते हुए जम्मू व कश्मीर के राजौरी सैक्टर में उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गये।

उनके निधन से देश एक वीर तथा साहसी सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मेजर दीपेन्द्र भूचर, एक वीर सैनिक

यह सदन वीर सैनिक मेजर दीपेन्द्र भूचर के 23 अगस्त, 1997 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 20 जनवरी, 1964 को हुआ। वह जम्मू व कश्मीर में 24 पंजाब रैजीमैंट में तैनात थे। वह देश की एकता और अखण्डता के लिये साहस और वीरता प्रदर्शित करते हुए जम्मू व कश्मीर में पाकिस्तानी सेना से लड़ते हुए शहीद हो गये।

उनके निधन से देश एक वीर तथा साहसी सैनिक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कुरुक्षेत्र नौका दुर्घटना

यह सदन 3 दिसम्बर, 1997 को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में हुई नौका दुर्घटना में तीन लोगों के दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन

हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री, श्री जगन्नाथ के भाई, श्री केवल राम;

हरियाणा के उद्योग मंत्री, श्री शशि पाल मेहता की माता, श्रीमती लाल देवी;

हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री, श्री किशन दास के भाई

श्री हरि मोहन;

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कंवल सिंह की माता

श्रीमती मनोरमा देवी तथा

हरियाणा के विधायक, श्री कैलाश चन्द शर्मा के पिता, श्री बीरबल प्रसाद के हुए दु:खद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला (रोड़ी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा अधिवेशन के उठने के बाद और इस अधिवेशन के आरम्भ होने तक हमारे बीच में से कुछ ऐसी महान् विभूतियां इस संसार से चली गई हैं, जो कि राजनीति से, स्वतंत्रता की लड़ाई से, सेनाओं से और शिक्षा से जुड़ी हुई थीं। वे एक अभूतपूर्व किस्म के व्यक्तित्व के मालिक थे। आपके सचिवालय की निगाह से शायद एक ऐसा व्यक्तित्व ओझल हो गया है। अध्यक्ष महोदय, ज्ञानी मेहर सिंह एक बहुत बड़े फ्रीडम फाईटर थे जिन्हें ज़लावतनी की भी सज़ा हुई थी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनका नाम भी शोक प्रस्तावों की सूची में शामिल किया जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, श्री गुलजारी लाल नन्दा भारतवर्ष के केवल भूतपूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं रहे बल्कि वे एक महान् स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हरियाणा प्रदेश से तो उनका विशेष रुप से लगाव रहा है। उन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा हरियाणा प्रदेश की सेवाओं में व्यतीत किया। वे बहुत लम्बी उम्र लेकर इस संसार से गए। सारा सदन उनके निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

मदर टैरेसा न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव की सेवा में कार्य करने वाली एक ख्याति प्राप्त महिला थी जिन्होंने "मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी" की स्थापना की और उनकी सेवाओं पर कई मुल्कों से उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। वे अपनी ओर से आखरी सांस तक गरीब वर्ग के

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

लोगों की सेवा में जुटी रही। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री ई०एस० वैंकट रमैया, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे और वे अब हमारे बीच नहीं हैं हम उनके दुखःद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करते हैं और यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

बाबू मूल चन्द जैन बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। वे मुश्तरका पंजाब में और हरियाणा प्रदेश में, विधान सभा के उच्च पदों पर रहे और इस प्रदेश के लोगों की बहुत अधिक सेवाएं की। उनकी सेवाओं को यह प्रदेश तथा सदन कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। श्री हरद्वारी लाल न सिर्फ इस सदन के सदस्य रहे, बल्कि वाइस चांसलर जैसे हैड पदों पर भी रहे और बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे लेखक थे उनकी सेवाएं भी हरियाणा प्रदेश के लिए अथाह हैं। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

न्यायाधीश श्री बलराज तुली पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे जो आज हमारे बीच नहीं हैं। उनके दुखद निधन पर भी यह सारा सदन गहरा शोक प्रकट करता है और उनके संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री देस राज कम्बोज, हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री के पद पर भी आसीन रहे। वे एक योग्य व्यक्ति थे। एक अच्छे समाज सुधारक और कुशल प्रशासक रहे हैं। कानून दान होते हुए भी लोगों की अच्छी सेवा करते रहे। यह सदन उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री कपिल देव शास्त्री जो लोक सभा के सदस्य रहे इसके अतिरिक्त और भी अहम पदों पर रहे। वे हिन्दुस्तान की लोकसभा में हरियाणा प्रदेश के मामलों को बड़ी मजबूती से उठाया करते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। यह सदन उनके दुखःद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है व उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, श्री जोगिन्द्र सिंह मान मुश्तरका पंजाब के मंत्री थे और मंत्री के पद पर होते हुए भी उन्होंने हमारे प्रदेश की बड़ी सेवा की। हरियाणा और पंजाब जब अलग हुआ तो उन्हें पंजाब विधान सभा का अध्यक्ष बनने का भी अवसर मिला। अध्यक्ष महोदय, बतौर अध्यक्ष के उन्होंने सदन की कार्यवाही को बहुत अच्छे ढंग से चलाने में अहम भूमिका निभाई और वे सारे सदन के सदस्यों को अपने परिवार के सदस्यों के रूप में मानते थे। उन्होंने कभी किसी को नेम नहीं किया। कभी किसी को सदन से नहीं निकाला। उन्होंने पद की गरिमा को बरकरार रखा। अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा अवसर आया था कि उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मण सिंह गिल ने उन्हें अपनी इच्छा के विरूद्ध चलाने की कोशिश की लेकिन पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए उन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया और पद की गरिमा को बरकरार रखा। लेकिन आज के स्पीकर * * * * * * * * * (शोर)

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री ओम् प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस पर क्या प्वायंट ऑफ आर्डर हो सकता है। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, इनको पता होना चाहिए कि स्पीकर का पद बहुत ही गरिमापूर्ण पद होता है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : यह तो अपनी अपनी भाषा होती है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परमात्मा न करे किसी ऐसी दिवंगत आत्मा के प्रति जिसके लिए हम सराहना भरे अलफाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके किये हुए कामों की सराहना कर रहे हैं और उनके सराहना भरे किये हुए कामों से नई पीढ़ी प्रेरणा लेगी। लेकिन जब ऐसे किये हुए कामों की चर्चा कमी चलेगी, तो लोग सुन कर यह समझेंगे कि अजीब किस्म के लोग थे। * * * * * * (शोर)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, ये लैक्चर दे रहे हैं या रैजोल्यूशन पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने रैजोल्यूशन से हट कर जो कुछ कहा है वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह स्पीकर से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए अगर स्पीकर उसे एक्सपंज करेगा तो फिर यह मामला कोर्ट तक भी जाएगा। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर से जुड़े हुए मुद्दे को स्पीकर एक्सपंज नहीं कर सकता। आप इसे एक्सपंज नहीं कर सकते। आप इसे पूरी तरह से वैरीफाई करें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप कोर्ट में जा सकते हैं आपको कौन रोकता है।

श्री बंसी लाल : आप कोर्ट में पहले भी गये थे और अब फिर चले जाओ आपको कौन रोकता है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इससे पहले आप जनता की अदालत में जाएंगे आपको आटे दाल का भाव पता लग जायेगा। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों की ऐसी हालत हो जाएगी वह अपने हल्कों में भी नहीं घुस पाएंगे और वे आज भी अपने हल्कों में नहीं घुस पा रहे हैं (विघ्न)। वे आज भी अपने हल्कों में नहीं जा पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए जो रैजोल्यूशन है उसी दायरे के अन्दर अपनी बात कहें। दूसरी बातें कहने के लिए आपको समय मिलेगा उस समय आप जो कुछ कहना चाहें वह कहें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा है वह सीमा के अन्दर रह कर ही कहा है। जो कुछ भी कहा है वह पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए कहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी को हिदायत देने से पहले अपने आपको उस सीमा तक रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। (शोर)।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि

श्री अध्यक्ष : धीरपाल जी आप बैठिये।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

16.00 बजे **श्री वीरपाल सिंह :** अध्यक्ष महोदय मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे मंत्री साहेबान जो हैं उनको आप आदेश दें के वे शोक प्रस्ताव पर बोलते हुए इनको बीच में इन्टरवीन न करें, यह इनको शोभा नहीं देता। ऐसे बीच में विघ्न डाल कर ये कोई अच्छी परम्परा नहीं डाल रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जोगिन्द्र सिंह मान बड़े-बड़े दिग्गजों को काबू कर लेते थे आपसे यह अकेला सतपाल सिंह सांगवान काबू नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय, श्री फूसा राम इस हाउस के सदस्य रहे हैं। उनके निधन पर यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर रघुवीर प्रकाश, की राजनीतिक सेवाएं पेप्सू तक सीमित रहीं। पेप्सू के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। यह सदन शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन दीप चन्द वर्मा जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप कुलपति थे, उनके प्रति भी शोक प्रकट करता है। श्री वर्मा संयुक्त पंजाब में एक अच्छे प्रशासक रहे हैं, एक अच्छे लेखक रहे हैं तथा एक अच्छे समाजसेवी रहे हैं। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन मेजर सज्जन सिंह जो एक वीर सैनिक थे, के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए आज वे हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे महान वीर सैनिक पर हम सब को गर्व है। अतः यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन मेजर दीपेन्द्र भूचर के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। वे एक साहसी वीर सैनिक थे। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में हुई नौका दुर्घटना में तीन लोगों के जो सरकारी कर्मचारी थे, के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये कर्मचारी लोगों के जीवन को बचाने के लिए वहां पर अहम भूमिका निभाया करते थे। उन्होंने लोगों की जान बचाने हेतु अपने प्राण गवाएं हैं। यह सदन इन कर्मचारियों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो लोगों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपये की राशि दी जाये ताकि आगे से सरकारी कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन कर सकें। इन कर्मधारियों की दुर्घटना वहां की मोटर खराब होने के कारण हुई है। अतः सरकार उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दे।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री श्री जगन्नाथ के भाई श्री केवल राम, हरियाणा के उद्योग मंत्री श्री शशिपाल मेहता की माता, श्रीमती लाल देवी, हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजन मंत्री, श्री किशन दास के भाई श्री हरिमोहन, हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कंवल सिंह की माता श्रीमती मनोरमा देवी तथा हरियाणा के विधायक श्री कैलाश चन्द शर्मा के पिता श्री बीरबल प्रसाद के हुए दुखःद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश के जो ****** उनके नाम भी इन शोक प्रस्तावों की सूची में शामिल कर लिए जाएं (विघ्न) ऐसी परम्परा पहले भी रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप अपनी सीट पर बैठें (शोक एवं व्यवधान) इन्होंने किसानों के बारे में जो कहा है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव इस सदन में रखा है उसके बारे में इस सदन में इस समय चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कुछ मर्यादाएं होती हैं लेकिन श्री चौटाला को यह भी पता नहीं होता कि कब क्या कहना चाहिए, इनको तो सोते-जागते, उठते-बैठते, मरने मारने और खून-खराबे के अलावा कुछ सूझता नहीं है। अपनी बात कहते हुए इन्होंने यहां तक भी कह दिया कि इस सदन के स्पीकर साहब की एक दिन ****** है (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष के नाते ऐसी बात कहते हुए इन्हें अध्यक्ष के पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के अन्दर ऐसे भी मुख्य मंत्री हुए हैं जिन्होंने अपनी गद्दी बचाने के लिए 12-12 लोगों की हत्याएं करवाईं। अपने परिवार के लोगों को, बेटों को चुनाव में खड़े करके लोगों की हत्याएं चुनाव के कारण करवाईं। आज गरिमा के हिसाब से ओम प्रकाश चौटाला जी बात नहीं कर रहे हैं। महा-महिम राज्यपाल महोदय ने 5 दिन का यह सैशन बुलाया है और इस दौरान इस प्रकार की बातें कहने और करने के लिए इनको बहुत और मौके मिलेंगे इसलिए इनको इस समय इस प्रकार की गैर-जिम्मेदारी की बात नहीं कहनी चाहिए। ये जिन किसानों की बात कर रहे हैं उन्होंने पुलिस के नौजवानों पर गोलियां चलाईं तथा रेल की पटरियों को उखाड़ने का काम किया है। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी (कलानौर, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में शोक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। पिछले सदन और अब तक के समय में बहुत सारी महान आत्माएं हमारे बीच से चली गई हैं। इस शोक प्रस्ताव पर मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन महान दिवंगत आत्माओं के शोकग्रस्त परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करती हूं तथा उन महान आत्माओं की शांति के लिए भी मैं इस शोक प्रस्ताव में शामिल होना चाहती हूं। स्पीकर सर, गुलजारी लाल नन्दा बहुत ही महान स्वतन्त्रता सेनानी थे। इस पीढ़ी के अन्दर तथा स्वतन्त्रता सेनानियों की उस पीढ़ी के लोगों के बीच में स्वतन्त्रता की पचासवीं वर्षगांठ में विशेष अन्तर नज़र आता है। उन लोगों ने अपना सारा जीवन अपने वतन के लिए कुर्बान कर दिया। उनकी हर सोच में, चाहे वह कुछ पहनने की बात हो, कुछ खाने की बात हो, कब कैसा और क्या खाना है, उनकी हर बात में उनको देश की स्वतन्त्रता का ध्यान रहता था। उस वक्त के नेताओं में सामाजिक कर्मठता और त्याग की भावना तथा दूसरों के लिए तथा वतन के लिए कुर्बानी देने का अभूतपूर्व जज्बा था। वतन की आजादी के लिए तथा आज़ादी के बाद कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर श्री नंदा जी का अपूर्व योगदान रहा है। हरियाणा के लिए यह फख्र की बात रही है कि वे हरियाणा से संबंध रखते थे और कुरुक्षेत्र जिसका नाम गीता-स्थली के नाम से जाना जाता है उसके निर्माण के लिए उन्होंने सतत प्रयास किए। उनके निधन से केवल हरियाणा को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक महान क्षति हुई है इस पीढ़ी के लोग एक-एक करके जा रहे हैं जिन्होंने हमें देश भक्ति और ईश्वर भक्ति का पाठ पढ़ाया, जिन्हें हम देख सकते थे उनसे बात कर सकते थे, वे धीरे-धीरे करके जा रहे हैं। जिससे देश को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मैं अपने हृदय की गहराईयों से उनके

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्रीमती करतार देवी]

परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूँ। मैं मुख्य मंत्री जी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूँ कि नन्दा जी की 5 एकड़ जमीन थी और वे वहां पर साधना गांव बनवाना चाहते थे ताकि बाहर के साधु संन्त वहां आकर विश्राम करें और वहां पर पूजा पाठ कर सकें। लेकिन किसी कारणों से उस जमीन को एक्वायर करने का विचार किया जा रहा है। आज नन्दा जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं अगर हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनकी उस जमीन को एक्वायर न किया जाए और वहां पर साधना गांव की स्थापना करके उनकी इच्छा को पूरा किया जाए।

मदर टैरेसा बहुत ही अच्छी और संसार में मानी हुई औरत थीं। वे हमारे देश में बाहर से आकर बसीं और उनके नाम के आगे सभी का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। उन्होंने दलितों, पीड़ितों और अपंग लोगों की सारी उम्र सेवा की और वह एक ज्वलन्त उदाहरण है। उनको कई इन्टरनैशनल अवार्ड उनके कार्यों के लिए मिले, भारत में भी उनको जवाहरलाल अवार्ड और राजीव गांधी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उनके इस दुनिया से चले जाने से बहुत नुक्सान हुआ है।

न्यायाधीश वैंकट रमैया, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे। उनके जीवन को देखने से पता चलता है कि वे अधिवक्ता, महाअधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश और फिर प्रधान न्यायधीश बने। वे बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उनके जाने से इस देश को बहुत नुक्सान हुआ है। मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, बलराज तुली जी भी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायधीश थे वे भी आज हमारे बीच में नहीं रहे। जिसका हमें बहुत दुख है।

श्री मूल चन्द जैन जी भी श्री नन्दा जी की तरह स्वतन्त्रता सेनानी थे। वे हरियाणा के मंत्री भी थे और वे योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी थे। उन्होंने बहुत सी महत्व पूर्ण जगहों पर काम किया था। पिछले दिनों में उनसे बात करने पर भी ऐसा लगता था कि उनके अन्दर आज भी आजादी के वक्त की ज्वाला है। कहीं पर भी कोई गलत बात हो, चाहे उनके दल में ही गलत बात हो वे उसका विरोध करके अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाते थे। गांवो के विकास के बारे में भी वे बहुत कुछ सोचा करते थे। अपने गांव में उन्होंने देखा कि वहां पर लाईब्रेरी की जरूरत है तो उन्होंने वहां पर अपने पिता के नाम से लाईब्रेरी बना दी। वे गांवों में सुख-सुविधा और चिकित्सा का बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने गांधी जी के नाम से लाईब्रेरी बनवाई थी। उनके इस दुनिया से जाने से देश को बहुत नुक्सान हुआ है। यह तो विधि का विधान है जिसके आगे किसी की नहीं चलती है। चाहे कोई राजा हो या रंक हो सबको एक दिन इस दुनिया से जाना ही है।

श्री हरद्वारी लाल जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। वे रोहतक से सम्बन्धित थे। वे शिक्षा संस्थाओं से जुड़े हुए थे। वे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर काम किया वे बहुत ही इन्टैलिजैंट थे। उनकी हर प्रकार के मामलों में अपनी एक धाक थी। ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में से चले गए। उनकी आत्मा के प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं। स्पीकर सर, इसी तरह से श्री देसराज कम्बोज जो कि इस सदन के सदस्य रहे, मंत्री रहे, पिछड़ा आयोग के चेयरमैन भी रहे और कई अन्य संस्थाओं से भी वे जुड़े रहे, आज हमारे बीच से चले गए। वे एक समाज सेवी थे। मैं उनको भी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संवेदना प्रकट करती हूं। सर, इसी प्रकार से श्री कपिल देव शास्त्री जो बहुत ही कट्टर आर्य समाजी थे एवं जो समाज की कुरीतियों के जबरदस्त खिलाफ थे, आज इस संसार में नहीं रहे। उन्होंने

जहां दहेज प्रथा एवं बाल विवाह का विरोध किया वहीं उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी बहुत बल दिया। वे दूसरे कार्यकलापों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। वे कई अन्य शिक्षण संस्थाओं के पदों पर भी रहे। उस महान आत्मा के प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं। स्पीकर सर, इसी तरह से श्री फूसा राम जो कि हमारे इस सदन के सदस्य रहे थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। वे एक कृषक थे और एक ऐसे व्यक्ति भी थे जिनको जनता का आदमी कहा जा सकता है। मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला था। उनका छोटा सा कार्यकर्ता भी अपनी बात बड़ी निडरता के साथ उनके सामने कह देता था। सर, मैंने स्वयं देखा है कि उनकी यथासंभव कोशिश होती थी कि जो उनके पास आया है, वे उसका काम करें। बहुत कम लोग ही अपने लोगों के बीच में इस तरह से मिलकर अपना काम करते हैं। उनके निधन से भी हमें काफी क्षति हुई है। मैं उनकी भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजली अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करती हूं। सर, इसके साथ ही हमारे फौज के दो बहादुर जवान मेजर सज्जन सिंह एवं मेजर दीपेन्द्र भूचर किस प्रकार से अपने देश की अखंडता की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए, यह एक गर्व की बात है। आज जिस कठिन परिस्थिति में हम कश्मीर में से निकल रहे हैं उसको देखते हुए हमारे बी०एस०एफ० या दूसरे फौज के जवानों के लिए यह एक अत्याधिक सम्मान की बात है, सर, शायद ही इतनी कठिनाईयों में से किसी भी सेना को गुजरना पड़ा हो। इनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। इसी तरह से सर, श्री दीप चन्द वर्मा की मृत्यु पर भी मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं। सर, इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र नौका दुर्घटना में मारे गए तीन लोगों के दुखद निधन पर भी मैं गहरा शोक प्रकट करती हूं। आज कुरुक्षेत्र में जहां गीता जयन्ती समारोह की तैयारी चल रही है तो उस समय में इस तरह की घटना घटित होना बहुत ही दुखद है। उस मौके पर जो इस समारोह को मनाने की लालसा थी, वह अचानक रूदन में बदल गयी। इन तीन लड़कों में एक लड़का काफी छोटा था। सर, सबसे दुख की बात तो यह है कि इनकी लाशें दो-तीन दिन बाद मिली। यह लाशें इतनी बाद में क्यों मिली, यह एक सोचने का विषय है। सरोवर में वहां पर जो पानी इकट्ठा रहता है इसके अंदर बहुत गाद जमा हो गयी है। अगर एक बार आदमी उसमें चला जाए तो उसका निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस सरोवर की सफाई करवाकर इसमें दोबारा से पानी डाला जाना चाहिए ताकि लोग इस तरह से फिर न मरें। सर, मैं खुद भुक्तभोगी हूं क्योंकि रोहतक के पास एक नहर में इस प्रकार का हादसा हुआ है। वहां पर बच्चे नहाने के लिए चले जाते हैं लेकिन उस नहर में गाद होने का कारण वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारे यहां पर शादीलाल वत्तरा का एक ही बेटा था वह भी वहां नहाने के लिए गया था लेकिन इसके साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। मुख्यमंत्री जी का तो वहां से बहुत लगाव रहा है इसलिए मैं उनसे विशेष अनुरोध करूंगी कि वे उस सरोवर की गाद निकलवाकर उसमें दोबारा से पानी डलवाएं ताकि इस प्रकार का हादसा भविष्य में फिर कभी न हो । साथ ही हमारे कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार जैसे जगन्नाथ जी के भाई केवल राम जी, शशि पाल मेहता जी की माता, श्रीमती लाल देवी, सेठ सिरी कृष्ण दास जी के भाई हरि मोहन जो हमारे बीच से गए हैं उनके प्रति हार्दिक शोक व्यक्त करती हूं। हरि मोहन जी व मैं रोहतक में जब एक पार्टी में थे तो मैंने देखा कि सिरी कृष्ण जी से शायद अपनी बात कोई न कहे लेकिन भाई हरि मोहन जी से श्रमिक वर्ग के लोग, बच्चे व माताएं बड़े खुले दिल से अपनी बात किया करते थे। वे हर गरीब आदमी की इमदाद के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे। उनके निधन से रोहतक शहर को बड़ी क्षति हुई है। इसी तरह से कंवल सिंह नैन जी की माता जी मनोरमा जी और विधायक भाई कैलाश चन्द शर्मा के पिता के निधन पर मुझे व हमारी पार्टी को गहरा दुख है। साथ ही चौधरी अमर सिंह धानक जी के नौजवान पुत्र का जो निधन हुआ है उसका नाम भी इसमें शामिल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं

[श्रीमती करतार देवी]

अपने दल की तरफ से सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, किसी राजनीतिक भावना से नहीं बल्कि पहले भी ऐसी प्रथा रही है कि किसी वजह से कोई * * * * * *

श्री अध्यक्ष : बहिन जी जो कह रही हैं उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मौत ऐसी चीज है जो कि निश्चित है आती आवे हयात है और कजा ले जाती है यह गुमान किसी को नहीं होना चाहिए। यह जो आज की सूची है इसमें भारत के पूर्व प्रधान मंत्री भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं और पूर्व विपक्ष के नेता भी हो सकते हैं। जो चीज इस सृष्टि में विद्यमान है उसका अंत निश्चित है और इसलिए भारत के दर्शन ने उसकी व्याख्या अलग-अलग तरह से की है व आत्मा की अमरता को माना है, शरीर के पंचतत्व को नश्वर माना है। श्री गुलजारी लाल जी नन्दा एक परम्परा के प्रतीक थे और यह हरियाणा का सौभाग्य था कि उनका कार्यक्षेत्र हरियाणा रहा। आज का जो ब्रह्म सरोवर है वह उनकी कल्पना थी। हिंदुस्तान में एक साफ-सुथरा सरोवर कुरुक्षेत्र में है और जब सूर्य-ग्रहण होता है तो सबसे बड़ा मेला कुरुक्षेत्र में लगता है या फिर भुवनेश्वर के पास कोणार्क में सूर्य मंदिर है वहां लगता है। एक लाख लोग यहां एक साथ स्नान कर सकें इसकी व्यवस्था या तो पांडवों ने अपने समय में की थी। जो सरोवर है वहां सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है (विघ्न) जो लोग जैसे होते हैं स्पीकर सर, वह उसी तरह की कल्पना करते हैं। और जो जिस तरह के वातावरण में रहते हैं वे उसी तरह की जबान निकालते हैं। श्री नन्दा जी देश के प्रधान मंत्री रहे, परन्तु वे एक अध्यात्मिक जीव थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के महत्व को अच्छी तरह जाना। इतने बड़े ब्रह्म सरोवर की कल्पना की जिसे नन्दा जी की बहुत बड़ी जागृति के रूप में याद रखा जाएगा। मदर टेरसा ने मानवता की बड़ी सेवा की उन्होंने विदेश से आकर भारत में लोगों की सेवा की। जस्टिस ई०एस० वैंकटेरमया जी , जो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे वे भी आज हमारे बीच नहीं रहे। श्री मूल चन्द जैन जी नन्दा जी की तरह स्वतन्त्रता सेनानी थे। आज की राजनीति में विरोध की भी बहुत जरूरत है। परन्तु विरोध का स्वर क्या हो इस बात को श्री मूलचन्द जैन बहुत अच्छी तरह जानते थे श्री मूलचन्द जैन गोहाना के पास सिकन्दरापुर माजरा गांव के थे जो कि चौधरी जंगबीर सिंह मलिक के हल्के में पड़ता है प्रत्येक बात को बड़ी अच्छी तरह से कहते रहे, शराब बन्दी के बारे में, साक्षरता को बारे में, सत्याग्रह के बारे में, उन्होंने अंग्रेजों की हकूमत में भी अपनी जबान से हमेशा अच्छे तरीके से प्रत्येक मामले को उठाया। उन अंग्रेजों की हकूमत में जिनके समय में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था श्री मूल चन्द जैन ने उनकी हकूमत को भी ललकारा। आज का हमारा सत्याग्रह का रास्ता क्या है कि कैसे हिंसा हो, कैसे रेलवे स्टेशन को जलाया जाये पहले इस तरह का वातावरण बनाया जाता है और उसको सत्यग्रह का नाम देते हैं। आज मैं इन महान आत्माओं की हृदय से श्रद्धांजलि नमन करता हूं। श्री हरदवारी लाल जी हरियाणा की धरती पर रोहतक जिले के छारा गांव में एक किसान के घर पैदा हुए तथा अंग्रेजी में एम०ए० की शिक्षा प्राप्त की तथा रोहतक विश्वविद्यालय के उप-कुलपति रहे। वे उच्च न्यायालय में अपने मुकद्में की पैरवी खुद करते थे इस बारे

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

में कई बार चर्चा होती है कि हरियाणा का जन्मा हुआ व्यक्ति अपनी पैरवी सरलता के साथ कर सकता है। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं। स्पीकर सर, उनके जाने से हरियाणा प्रदेश को एक शिक्षाविद और एक राजनेता की बड़ी क्षति हुई है। उनको मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जस्टिस बलराज तुली, श्री देशराज कम्बोज के निधन से एक राजनेता की खला पैदा हुई है। श्री कपिलदेव शास्त्री जी लोक सभा के सदस्य रहे। वह पत्रकार थे। वीर प्रताप अखबार के लिए लेख लिखते थे जिसके जरिये देहात की बातों को उजागर करते थे उनके जाने से प्रदेश एक राजनेता, पत्रकार और एक योग्य व्यक्ति की कमी हमेशा महसूस करेगा। श्री जोगिन्द्र सिंह मान जोकि संयुक्त पंजाब में मंत्री रहे, श्री फुसाराम जो नारनौल से तीन बार लगातार विधायक रहे इनके निधन पर मैं अपनी हार्दिक संवेदना अर्पित करता हूं । डॉ० रघुबीर प्रकाश, पूर्व विधायक, पैप्सू, श्री दीप चन्द वर्मा, कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति, मेजर सज्जन सिंह व मेजर दिपेन्द्र सिंह भूचर के दुःखद निधन पर यह सदन शोक प्रकट करता है। ये दोनों मेजर हरियाणा के सपूत हुए हैं जिन्होंने श्रीनगर की उस चौकी के लिए अपनी जान दे दी जहां बर्फीले क्षेत्र के लोग रहते थे और पिछले 6 महीने से वहां पर चीन की वजह से तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ था इसलिए वहां के लोग न कहीं आ जा सकते थे, न ही विवाह-शादी वगैरह ही कर सकते थे। इन दोनों ने हिम्मत करके अपने कदम आगे बढ़ाए और भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं इन दोनों बहादुरों को नमन करता हूं। कुरुक्षेत्र नाव त्रासदी में तीन लोगों का निधन हुआ, जिसके लिए यह सदन हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री, श्री जगन्नाथ के भाई, श्री केवल राम, हरियाणा के उद्योग मंत्री, शशिपाल मेहता की माता, श्रीमती लाल देवी, हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री, सिरी किशन दास के भाई श्री हरि मोहन, हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कवंल सिंह की माता श्रीमती मनोरमा देवी, तथा हरियाणा के विधायक, श्री कैलाश चन्द शर्मा के पिता श्री बीरबल प्रसाद के हुए निधन पर यह सदन गहरा शोक प्रकट करता है श्री बीरबल प्रसाद के निधन पर 4-5 दिन पहले ही हम उधर गए थे। पुरानी परम्परा है कि बुढ़ापे में मां-बाप की सभी लोग सेवा करते हैं। ताकि उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो इसके लिए सभी प्रयत्न करते हैं। उनको ऑल इंडिया मैडिकल इंस्टीच्यूट में भी एडमिट कराया गया। लगभग एक महीना पहले से ही उनको तकलीफ थी। वहीं पर उनका निधन हुआ। उनके निधन पर यह सदन हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ज्ञानी महर सिंह, स्वतंत्रता सेनानी के निधन पर भी यह सदन हार्दिक संवेदना प्रकट करता है इन सभी शोक संतप्त परिवारों को यह सदन श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके साथ उनके दुःख में शामिल होता है। स्पीकर साहब, उन लोगों के लिए यहां श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिन्होंने इस माटी को, इस प्रदेश को, इस देश को, इस देश की परम्परा व संस्कृति को कायम रखने में कुछ न कुछ योगदान दिया, स्पीकर साहब, इस हाऊस में सभी चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं। यहां पर कोई भी शब्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो उसका अर्थ सभी समझते हैं। जो बात यहां पर इस प्रकार से कही जाती है, हो सकता है वह किसी के जजबात को चोट पहुंचाती हो। अध्यक्ष महोदय, मौत एक ऐसी चीज है, जिससे कोई नहीं बच सकता है। आज तक मौत से कोई नहीं बच सका है। मौत के लिए पहले से अनुमान लगा लेने और कुछ कह लेने से कोई बहादुरी साबित नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि शोक प्रस्तावों के अवसर पर भी चेयर के प्रति जो बात एक जिम्मेदार ओहदे पर आसीन माननीय सदस्य ने कही है, उसके लिए हमको बहुत अफसोस है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि किसी को कोई गुमान नहीं होना चाहिए। क्या कोई मौत के साथ लड़ाई कर सकता है ? यहां पर हम सबकी अपनी-अपनी भूमिका है और हम सभी अपनी-अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। यहां तक तो यह बात ठीक है। लेकिन अगर कोई ऊपर वाले का कार्य खुद करने लग जाए तो कोई

[श्री राम बिलास शर्मा]

भी अनुमान लगा सकता है कि क्या होगा ? भगवान ने सभी को उसके लिए निश्चित कार्य के निमित्त मात्र बनाया है और व्यक्ति वही कर सकता है जिसके लिए भगवान ने उसको जिम्मेवारी आयद की है। अब बहिन करतार देवी जी ने भी डंगवारा करने की कोशिश की (विघ्न) बहिन जी, पिछले सैशन की स्पीच निकाल कर देख लीजिए, उन में बाकायदा तारतम्य और प्रतिबद्धता मिलेगी। आज ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोगों को हिंसा भड़काने के लिए तैयार किया जाता है। लोगों से रेलवे स्टेशन को जलवाया जाता है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। (शोर)

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, वे किस बहिन के भाई थे, मैं नहीं जानती हूं।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, कुछ लोगों ने हरियाणा की राजनीति को गरमाने का ठेका ले रखा है। (शोर)

स्पीकर सर, मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल) : श्री गुलजारी लाल नन्दा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे जिनकी सेवाएं हर क्षेत्र में रहीं। मदर टैरेसा जो दुनिया के लिए एक उदाहरण है। अन्य सदस्य न्यायाधीश ई०एस० वैंकेट रमैया, श्री मूल चन्द जैन, श्री हरद्वारी लाल, न्यायाधीश बलराज तुली, श्री देसराज कम्बोज, श्री कपिल देव शास्त्री, श्री जोगिन्द्र सिंह मान, श्री फुसा राम, डॉ० रघुवीर प्रकाश, श्री दीप चन्द वर्मा, मेजर सज्जन सिंह,मेजर दीपेन्द्र, कुरुक्षेत्र की बोट ट्रैजडी के हमारे हरियाणा निवासी और इसके अलावा श्री केवल राम, श्रीमती लाल देवी, श्री हरि मोहन, श्रीमती मनोरमा देवी, और श्री बीरबल प्रसाद के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। स्पीकर सर, राम बिलास जी ने बताया है वह ठीक है हर आदमी जो आया है वह जाएगा और भारतीय संस्कृति तो बहुत ऊंची है। हम सब मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। इंसान करम करता है। कई लोगों की सेवाएं बहुत होती हैं। गलतियां बहुत लोग करते हैं लेकिन कभी भी किसी मरने वाले का फायदा नहीं उठाते। अपोजिशन के नेता का बड़ा ओहदा होता है, हर बात में इन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की है। किसान मरे हैं वह किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे। हमें भी उनकी मौत का अफसोस है लेकिन उनको उकसाने के लिए भी ये जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष : मान्यवर सदस्यगण, दिवंगत व्यक्तियों के बारे में विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए। मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ सम्मिलित करता हूं। श्री गुलज़ारी लाल नन्दा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न थे और मैं तो कहता हूं कि वे एक युगपुरुष थे उन्होंने अपना सारा जीवन देश के हित के लिए, देश की आजादी के लिए लगाया। नन्दा जी ने 23 साल की उम्र से असहयोग आन्दोलन में सक्रिय जीवन आरम्भ करके चाहे वह सत्याग्रह आन्दोलन था, चाहे भारत छोड़ो आन्दोलन था, भारतीय स्वतन्त्रता के इतिहास में उनका अपना अमूल्य योगदान रहा है। वास्तव में अगर हम नन्दा जी के जीवन को गहराई से देखें तो कितना अन्तर है उस पीढ़ी के नेताओं में और आज के नेताओं में, जिनका सारा जीवन देश हित के लिए, देश सेवा के लिए और मानव सेवा के लिए समर्पित था। आज के नेताओं की तरह व्यक्तिगत स्वार्थ या दूसरे विचार नन्दा जी को छू भी नहीं पाए थे। आज हम सभी उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका जीवन जो अनुकरणीय जीवन था, हम उनसे कुछ सीखें उनके लिए यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मदर टैरेसा गरीबों की मसीहा थी जिन्होंने यूगोस्लाविया में जन्म ले कर भारतीय वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपालन किया उनके संस्कार भारत

की भूमि के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने भारत की पवित्र भूमि को अपना कार्य क्षेत्र चुना और मानव सेवा के लिए उनका सारा जीवन पूर्ण रूप से समर्पित रहा। चाहे भारत या किसी अन्य देश में यदि मानव जाति पर किसी तरह की आपत्तियां आईं तो उन्होंने उसमें तत्परता से भाग लिया उसी के कारण उन्हें भारत वर्ष की सबसे बड़ी उपाधि भारत रत्न और नोबल पुरस्कार से अलंकृत किया गया। मैं अपनी ओर से दिवंगत आत्मा के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।मैं अपनी ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। न्यायाधीश ई०एस० वेंकटरमैया, उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश एक महान कानून विद थे। उनके चले जाने से देश को बड़ी क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री मूल चन्द जैन हरियाणा प्रदेश की उन महान विभूतियों में से थे जिन्होंने अपना सारा जीवन मानव मूल्यों के लिए व्यतीत किया। चाहे वे किसी भी पार्टी में रहे वे अपने पथ से विचलित नहीं हुए। सत्य को सत्य कहना उनके जीवन का अंग था। उनके निधन से देश और प्रदेश को एक बड़ा भारी आघात हुआ है। मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री हरद्वारी लाल, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री हरियाणा प्रदेश के उन महान शिक्षाविदों में से थे जिनके ऊपर हरियाणा गर्व कर सकता है। वे एक महान शिक्षक, शिक्षाविद, प्रशासक और अनुभवी राजनेता थे। उनकी लेखनी का शायद ही कोई मुकाबला कर सके। इस प्रकार की विभूति के संसार से चले जाने से हरियाणा प्रदेश को बड़ी भारी क्षति पहुंची है। मैं अपनी ओर से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। न्यायाधीश बलराज तुली, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश के निधन से देश को एक बड़ी भारी क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री देस राज कम्बोज हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री एक विख्यात एडवोकेट, समाजसेवी, महान प्रशासक और सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनके निधन से देश को बहुत भारी आघात पहुंचा है। मैं अपनी ओर से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री कपिल देव शास्त्री, भूतपूर्व सांसद एक महान समाजसेवी थे। आर्य समाज के साथ उनका निकट का संबंध था। आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलते हुए उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया और राजनीति में आने पर भी वे अपने आदर्शों से विचलित नहीं हुए, उनके निधन से आर्य समाज को, देश और प्रदेश को बड़ी भारी क्षति पहुंची है, मैं अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री जोगिन्द्र सिंह मान, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व मंत्री और अध्यक्ष के निधन से देश और प्रदेश को बड़ी भारी क्षति पहुंची है उसके लिए मुझे बड़ा खेद है। मैं अपनी ओर से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री फूसा राम, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य इस सदन के तीन बार सदस्य रहे। एक किसान परिवार से संबंध रखते हुए उन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई। उनके जाने से विशेष रूप से उस क्षेत्र को हानि हुई है। उनके प्रति भी मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करता हूं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

डॉ० रघुवीर प्रकाश जो पेप्सू विधान सभा के सदस्य थे उनके निधन पर भी मैं शोक प्रकट करता हूं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री दीपचन्द वर्मा जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वाईस चांसलर थे उनके निधन पर भी शोक प्रकट करता हूं। तथा उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

इसी प्रकार से इस देश की रक्षा करते हुए जिन महान सैनिकों ने अपना जीवन बलिदान किया है, उन्होंने अपना सारा जीवन देकर सारे देश को गौरवांवित किया है। मेजर सज्जन सिंह एक वीर सैनिक थे।

[श्री अध्यक्ष]

इन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति दे। इसी प्रकार से दीपेन्द्र भूचर ने भी अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया है। मैं इनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में हुई नौका दुर्घटना में तीन लोगों के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं इन शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

यह सदन हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री, श्री जगन्नाथ के भाई, श्री केवल राम, हरियाणा के उद्योग मंत्री, श्री शशि पाल मेहता की माता, श्रीमती लाल देवी, हरियाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री सिरी किशनदास के भाई श्री हरि मोहन, हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कंवल सिंह की माता श्रीमती मनोरमा देवी तथा हरियाणा के विधायक, श्री कैलाश चन्द शर्मा के पिता श्री बीरबल प्रसाद के हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री भागी राम : अध्यक्ष महोदय, हमारे एक विधायक साथी श्री रामजी लाल की माता का नाम भी इस सूची में शामिल कर लिया जाये क्योंकि उनका भी निधन हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : उनका नाम भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। अतः मैं सभी शोक संतप्त परिवारों को सदन द्वारा जो संवेदना प्रकट की गई है, पहुंचा दूंगा। अतः अब मैं माननीय सदस्यों से दिवंगत आत्माओं के सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए खड़े होने का अनुरोध करता हूं।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा -

(i) सभापतियों के नामों की सूची

Mr. speaker : Hon'ble Members, under rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the panel of Chairman :-

1. Shri Kapoor Chand Sharma
2. Shri Narpender Singh
3. Shri Bijender Singh Kadyan
4. Shri Balwnat Singh Maina

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions under rule 286(1) of the Rules of Proce-

dure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

1.	Shri Faqir Chand Aggarwal, Deputy Speaker	Ex-Officio Chairman
2.	Shri Narpender Singh	Member
3.	Shri Somvir Singh	"
4.	Shri Anand Kumar Sharma	"
5.	Shri Sri Krishan Hooda	"

(ख) सचिव द्वारा -

राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलों संबंधी।

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make announcement.

Secretary : Sir, I have to inform the House that the following Bills which were re-considered and passed by the Haryana Legislative Assembly on the 21st March, 1997 have been assented to by the President :-

1. The Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1988

2. The Kurukshetra University (Amendment) Bill, 1988.

I also beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills, which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its Sessions held in November, 1996 and March-July, 1997 and have since been assented to by the *President/Governor.

Statement

November Session, 1996

1. Guru Jambheshwar University, Hisar (Second Amendment) Bill, 1996.

March-July Session, 1997

1. The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 1997.
2. The Haryana and Punjab Agricultural Universities (Haryana Amendment) Bill, 1997.
3. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1997.
4. The Punjab Excise (Haryana Second Amendment) Bill, 1997.
5. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1997.
6. The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1997.
7. The Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 1997.
8. The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 1997.
9. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pensions of Members) Second Amendment Bill, 1997.

बिज़नैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 11.00 A.M. on Monday, the 19th January, 1998 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

"The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. and will again meet at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. On Thursday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

However, on Monday, the 19th January, 1998 the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of Business entered in the list of Business for the day.

The Committee also recommends that on Friday, the 23rd January, 1998, Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after conclusion of the Business entered in the list of business for the day.

The Committee after some discussion, also recommends that the Business from 19th January, 1998 to 23rd January, 1998 be transacted by the Sabha as under :-

The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address on the 19th January, 1998.	1. Laying of a copy of the Governor's Address on the Table of the House. 2. Obituary References. 3. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 4. Papers to be laid/re-laid on the table of the House. 5. Presentation of Report of the Rules Committee. 6. Presentation of two preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final Report thereon.
Tuesday, the 20th January, 1998 (9.30 A.M.) (First Sitting)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 121. 3. Presentation of Supplementary Es-

	timates for the year 1997-98 and the Report of the Estimates Committee thereon. 4. Presentation of Vote-on-Account 1998-99 (for four months i.e. April, May, June and July, 1998)
Tuesday, the 20th January, 1998 (2.00 P.M.) (Second Sitting)	Discussion on the Governor's Address.
Wednesday, the 21st January, 1998 (9.30 A.M.) (First Sitting)	1. Questions Hour. 2. Resumption of discussion on Governor's Address.
Wednesday, the 21st January, 1998 (2.00 P.M.) (Second Sitting)	1. Motion Under Rule 30. 2. Resumption of discussion on Governor's Address.
Thursday, the 22nd January, 1998 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Resumption of discussion on the Governor's Address and Voting on Motion of Thanks. 3. Discussion and Voting on Demands for Grants on the Supplementary Estimates for the year 1997-98. 4. Discussion and Voting on Vote-on-Account 1998-99 (for four months i.e. April, May, June and July, 1998) and reply by the Finance Minister. 5. Presentation of Assembly Committee Reports. 6. Legislative business.
Friday, the 23rd January, 1998 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour. 2. Motion under Rule 15 regarding non-stop sitting. 3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die. 4. Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates for the year 1997-98. 5. Appropriation Bill in respect of Vote-on-Account 1998-99 (for four

months i.e. April, May, June and July, 1998)

6. Presentation of Assembly Committee Reports.
7. Legislative Business.
8. Official Resolution.
9. Any other Business."

Mr. Speaker : Now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to move -

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved -

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is -

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज़ पर रखे गये/पुनः रखे गये कागज़-पत्र

Mr. Speaker : Now the Minister will lay/re-lay the papers on the Table of the House.

Minister of State for Public Relations (Shri Attar Singh Saini) : Sir, I beg to re-lay on the table -

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 11/H.A/20/73/S.64/97, dated the 14th March, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 37/H.A. 20/73/S.64/97, dated the 28th May, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 39/H.A.

20/73/S.64/97, dated the 28th May, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 40/H.L.A. 20/73/S.64/97, dated the 3rd June, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 1997, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General Service) Notification No. G.S.R. 22/Const./Art. 320/Amd.(1)/97, dated the 11th April, 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1997 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department Notification No. G.S.R. 33/H.A.3/70/S.8 and 9/97, dated the 15th May, 1997 regarding the Haryana Ministers Travelling Allowance (Amendment) Rules, 1997 as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

Sir, I beg to lay on the Table :-

The Punjab Excise (Haryana Third Amendment) Ordinance, 1997 (Haryana Ordinance No. 4 of 1997)

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 56/Const./Art. 320/97, dated the 31st July, 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulations, 1997 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The General Administration Department (Political Branch) Notification No. G.S.R. 60/H.A.3/1970/S.9/97, dated the 13th August, 1997 regarding the Haryana Ministers Travelling Allowance (Second Amendment) Rules, 1997 as required under Section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The General Administration Department (Political Branch) Notification No. G.S.R. 61/H.A.3/1975/S.8/97, dated the 13th August, 1997 regarding the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Allowances Rules, 1997 as required under section 8(2) of the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 86/Const./Art. 320/Amd. (3)/97, dated the 17th November, 1997 regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Third Amendment Regulations, 1997 as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

[Shri Attar Singh Saini]

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 100/H.A. 20/73/S.64/97, dated the 17th December, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Commercial Taxes Department Notification No. G.S.R. 101/H.A.20/73/S.64/97, dated the 18th December, 1997 regarding the Haryana General Sales Tax (Sixth Amendment) Rules, 1997 as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Memorandum of Action taken on the Annual Report of National Human Rights Commission for the year 1994-95 as required under Section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The Annual Statement of Accounts of the Housing Board, Haryana for the year 1991-92 as required under Sub-section (3) of Section 19-A of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 22nd Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 1995-96 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The Grant Utilisation Certificate and Audit Report for the year 1994-95 of the Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar as required under Section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural University Act, 1970.

The 29th Annual Report and Accounts of Haryana Agro-Industries Corporation Limited for the year 1995-96 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The Audit Reports of the Haryana Labour Welfare Board for the year 1983-84 to 1993-94 as required under Section 19(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 24th Annual Report of the Haryana Tanneries Limited for the year 1995-96 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will lay on the Table the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1997 No. 1 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

Finance Minister (Shri Charan Dass) : Sir, I beg to lay on the Table —

the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 1997 No. 1 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

रूल्ज़ कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखना

The Chairman (Speaker) of the Rules Committee : Hon'ble Members, now I lay on the Table of the House the Report of the Rules Committee containing the recommendations of the Committee regarding amendments in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, as required under Rule 234 ibid.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।

(i) श्री भजन लाल, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now Shri Narpender Singh, M.L.A. Chairman, Privileges Committee will present the Second Preliminary Report of the Committee on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against Shri Bhajan Lal, M.L.A., Leader of the Congress Party, who made a press statement in the press lobby/lounge in the Vidhan Sabha casting serious reflection on the conduct and impartiality of the Chair i.e. Hon'ble Speaker, Prof. Chhattar Singh Chauhan, and using very derogatory remarks against him wilfully and deliberately with a malicious motive in order to lower down the dignity of the Chair as published in the Indian Express on 22.11.1996.

Chairman, Privileges Committee (Shri Narpender Singh) : Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against Shri Bhajan Lal, M.L.A., Leader of the Congress Party, who made a press statement in the press lobby/lounge in the Vidhan Sabha casting serious reflection on the conduct and impartiality of the Chair i.e. Hon'ble Speaker, Prof. Chattar Singh Chauhan, and using very derogatory remarks against him wilfully and deliberately with a malicious motive in order to lower down the dignity of the Chair as published in the Indian Express on 22.11.1996.

Sir, I also beg to move -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved :-

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is -

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

Vidhan Sabha Secretariat Haryana Chandigarh LIBRARY

(ii) इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता, सम्पादक, प्रकाशक तथा मुद्रक के विरुद्ध

17.00 बजे **Mr. Speaker :** Now Shri Narpender Singh, Chairman, Committee of Privileges will present the Second Preliminary Report of the Committee, on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against the Correspondent, Editor, Publisher and Printer of the Indian Express for publishing the statement of Shri Bhajan Lal, M.L.A. containing derogatory remarks which cast serious aspersions on the impartiality, character and conduct of the Chair in discharge of his parliamentary duties on the floor of the House as this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public in the issue of Indian Express dated 22.11.1996.

Chairman, Privileges Committee (Shri Narpender Singh) : Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privileges given notice of by Shri Jagan Nath, Minister against the Correspondent, Editor, Publisher and Printer of the Indian Express for publishing the statement of Shri Bhajan Lal, M.L.A. containing derogatory remarks which cast serious aspersions on the impartiality, character and conduct of the Chair in discharge of his parliamentary duties on the floor of the House as this act has lowered the prestige and dignity of the Chair in the eyes of the public in the issue of Indian Express dated 22.11.1996.

Sir, I also beg to move -

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved -

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is -

That the time for the presentation of the Final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

*17.05Hrs (The House then *adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 20th January, 1998)

29864—HVS—H.G.P., Chd.